इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2020—माघ 25, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2020

क्रमांक– 234 /मप्रविनिआ/2020–विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(ज) तथा 181(2)(यघ) सहपठित धाराओं 36 तथा 61 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ केअवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण–चतुर्थ) विनियम, 2020{आरजी–28(IV), वर्ष 2020}

प्रस्तावना

आयोग ने केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित नियंत्रण अवधि से संरेखित पांच वर्षों की अवधि हेतु सिद्धान्तों तथा क्रियाविधियों को विनिर्दिष्ट करने का निर्णय लिया है। अतएव, आगामी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु विद्युत पारेषण की निबन्धन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करने हेतु ये विनियम बनाया जाना आवश्यक हो गया है:–

अध्याय – एक

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** : 1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **"मध्यप्रदेश विद्युतनियामकआयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (चतुर्थ पुनरीक्षण) विनियम, 2020{आरजी–28(IV), सन् 2020}" है।**

(1.2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।

(1.3) ये विनियम दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावशील होंगे तथा जब तक आयोग द्वारा इनकाकिसी प्रकार पुनर्विलोकन न किया जाए अथवा समयावधि मे विस्तार न किया जाए, ये विनियम पांच वर्ष की अवधि हेतु दिनांक 31 मार्च, .2024 तक प्रभावशील रहेंगे।

2. **विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा** :

ये विनियम विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/ निर्बाध/खुली पहुंच(ओपन एक्सेस) उपभोक्ताओं के विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण संबंधी समस्त प्रकरणों पर लागू होंगे जहां पारेषणप्रणाली की क्षमता का आवंटन यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मध्यप्रदेशराज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं

शर्तें) विनियम, 2005 के अन्तर्गत किया गया हो, परन्तु ऐसी पारेषण प्रणाली पर लागू न होंगे जहां विद्युत्–दर अधिनियम की धारा 63 के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त की गई हो, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अपनाया गया हो।

3. प्रचालन के मानदण्डों के परिसीमन का उच्चस्थ होना :

शंकाओं के निवारण के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन उच्चस्थ है तथा यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों तथा हितग्राहियों को प्रोन्नत मानदण्डों पर सहमति से प्रतिबाधित नहीं करेगा तथा इस प्रकार से सहमत किये गये प्रोन्नत मानदण्ड विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

4. परिभाषाएं तथा व्याख्याएं :

(4.1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(1) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(2) **"अतिरिक्त पूंजीगत व्यय"** से अभिप्रेत है किया गया पूंजीगत व्यय, अथवा जिसे इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार 'पारेषण अनुज्ञप्तिधारी' द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बाद किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो ;

(3) **"स्वीकृत पूंजीगत लागत"** से अभिप्रेत है पूंजीगत लागत जिसे आयोग द्वारा सुसंबद्ध विद्युत–दर (टैरिफ) विनियमों के अनुसार विधिवत युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त विद्युत–दर के माध्यम से सेवा–प्रदाय (सर्विसिंग) हेतु अनुज्ञेय किया गया हो;

(4) **"लेखांकन विवरण–पत्र"** से अभिप्रेत है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण–पत्र, अर्थात्:–

(एक) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग I अथवा इसके संशोधन की सुसंबद्ध अनुसूची के अन्तर्गत अन्तर्विष्ट प्ररूप के अनुसार तैयार किया गया तुलन–पत्र (बैलेंस शीट); मय संबंधित टिप्पणियों तथा ऐसे अन्य सहायक विवरण–पत्रों तथा जानकारी के, जैसा कि आयोग समय–समय पर निदेर्शित करे ;

(दो) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II अथवा संशोधन की सुसंबद्ध अनुसूची की आवश्यकताओं के अनुपालन में लाभ तथा हानि का लेखा ;

(तीन) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स ऑफ इण्डिया के रोकड़–प्रवाह विवरण–पत्र (कैश–फ्लो स्टेटमेन्ट) (एएस–3) के लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया रोकड़ प्रवाह विवरण–पत्र;

(चार) अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षक(ों) का प्रतिवेदन;

(पांच) संचालक का प्रतिवेदन तथा लेखांकन नीतियां;

(छः) केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) अथवा इसके संशोधन की सुसंबद्ध अनुसूची के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये गये लागत अभिलेख, यदि कोई हों ;

(5) **"अतिरिक्त पूंजीकरण"** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त स्वीकार किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय ;

(6) **"अंकेक्षक"** से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233(ख) तथा 619 जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया गया हो अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों अथवा अध्याय दस के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अंकेक्षक;

(7) **"उपलब्धता"** से, किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में किसी दी गई समयावधि हेतु, अभिप्रेत है उक्त अवधि में घंटों में समय जिस हेतु पारेषण प्रणाली उसके द्वारा घोषित वोल्टेज पर विद्युत् पारेषण उसके वितरण बिन्दु तक ले जाने में सक्षम है तथा इसे दिए गए समय हेतु कुल घंटों के प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाएगा;

(8) **"बैंक दर"** से अभिप्रेत है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय–समय पर जारी एकल वर्षीय ऋण प्रदाय दर की उपान्तिक लागत (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैण्डिंग रेट–एमसीएलआर) तथा 350 आधार बिन्दुओं का योग ;

(9) **"हितग्राही"** से अभिप्रेत है दीर्घ–अवधि, मध्यम–अवधि अथवा लघु–अवधि के पारेषण उपभोक्ता जिनकी विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण इन विनियमों के अन्तर्गत किया गया हो;

(10) **"पूंजीगत लागत"** से अभिप्रेत है पूंजीगत लागत जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 19 तथा 20 द्वारा अवधारित किया गया हो;

(11) **"कानून में परिवर्तन"** से अभिप्रेत है निम्न में से किसी भी घटना का होना:

(एक) किसी नवीन भारतीय कानून का अधिनियमन, इसको प्रभावशील किया जाना या प्रवर्तित किया जाना; अथवा

(दो) किसी विद्यमान भारतीय कानून को अपनाना, उसमें संशोधन करना, संपरिर्वतन करना, निरस्त करना या उसे फिर से अविनियमित करना; अथवा

(तीन) किसी ऐसे सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), अथवा भारतीय सरकार के किसी माध्यम द्वारा जिसे ऐसी व्याख्या हेतु कानून के अन्तर्गत अन्तिम प्राधिकार प्राप्त हो, किसी भारतीय कानून के निर्वचन या अनुप्रयोग में परिवर्तन किया जाना; अथवा

(चार) किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किसी परियोजना हेतु किसी सम्मति या स्वीकृति या अनुमोदन या उपलब्ध अथवा प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति के बारे में किसी शर्त या समझौते में परिवर्तन किया जाना; अथवा

(पांच) इन विनियमों के अधीन विनियमित विद्युत पारेषण प्रणाली से संबंधित, भारत सरकार तथा किसी अन्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न सरकार के मध्य किसी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अनुबंध/संधि का लागू होना या उसमें कोई संपरिवर्तन किया जाना;

(12) **"आयोग"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ;

(13) **"संचार प्रणाली"** गें राग्गिलित है मध्यपद्रेश पावर ट्रासंमिशन कंपनी लिमिटेड की संचार प्रणाली, जिसके अन्तर्गत राज्य भार प्रेषण तथा संचार योजना, स्काडा, वृहद् क्षेत्र मापन, तन्तुक प्रकाशीय संचार प्रणाली, सुदूर सीमान्त इकाई, निजी स्वचालित शाखा केन्द्र, रेडियो संचार प्रणाली तथा सहायक विद्युत् प्रदाय प्रणाली आदि सम्मिलित हैं जिनका उपयोग विद्युत् के राज्यान्तरिक पारेषण प्रबंधन मे किया जाता है;

(14) **"प्रतिस्पर्धी बोली"** से अभिप्रेत है उपकरणों की अधिप्राप्ति, सेवाओं तथा कार्यों के निष्पादन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत परियोजना विकासक द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से परियोजना हेतु उपकरण का विस्तार क्षेत्र तथा विशिष्टताओं, सेवाओं तथा वांछित कार्यों बाबत् बोलियां आमंत्रित की जाती हैं तथा प्रस्तावित अनुबंध की निबंधन तथा शर्तें तथा वे मानदण्ड जिनके द्वारा प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया जाता है, सम्मिलित हैं तथा इस प्रक्रिया में स्वदेशी प्रतिस्पर्धी बोलियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों को भी आमंत्रित किया जाता है;

(15) **"पृथक्कृत तिथि"** अर्थात् 'कट–ऑफ डेट' से अभिप्रेत है परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से छत्तीस माह पश्चात् के कलेण्डर माह की अन्तिम तिथि ;

(16) **"दिवस"** से अभिप्रेत है, कलेण्डर दिवस जिसमें 00.00 बजे से प्रारंभ होने वाली 24 घंटे की अवधि सम्मिलित है ;

(17) **"वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि"** का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 5.1 में परिभाषित किया गया है ;

(18) **"अपूंजीकरण"** से इन विनियमों के अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) के प्रयोजन हेतु अभिप्रेत है, परियोजना की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में कमी की जाना जैसा कि आयोग द्वारा परिसम्पत्तियों के अन्तर–इकाई अन्तरण या फिर सेवा से निष्कासित की गई परिसम्पत्तियों से तत्संबंधी स्वीकार किया गया है ;

(19) **"अक्रियाशील करना"** से अभिप्रेत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या अन्य किसी प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रमाणित किये जाने के पश्चात् उसके द्वारा स्वयं या फिर परियोजना विकासक द्वारा या हितग्राहियों अथवा दोनों द्वारा इस आशय की सूचना प्रेषित करने के बाद कि परियोजना का संचालन प्रौद्योगिक अप्रचलन या अलाभकर परिचालन या फिर इन कारकों के संयोजन के कारण भी परिसम्पत्तियों के अनिष्पादन के कारण किया जाना संभव नहीं है, किसी पारेषण प्रणाली को, उसकी संचार प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व को सम्मिलित करते हुए, सेवा से हटाए जाने से है ;

(20) **"तत्व"** से अभिप्रेत एक परिसम्पत्ति/आस्ति से है जिसे विशिष्ट तौर पर पूंजी निवेश अनुमोदन में पारेषण परियोजना के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है, जैसे कि पारेषण लाईनें, लाईन बे तथा लाईन रिएक्टर्स, उपकेन्द्र, बे, क्षतिपूर्ति उपकरण, अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मर आदि को सम्मिलित करते हुए ;

(21) **"विद्यमान परियोजना"** से अभिप्रेत है परियोजना, जिसे दिनांक 1.4.2019 से पूर्व किसी तिथि को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के अन्तर्गत घोषित किया जा चुका हो ;

(22) **"विस्तार परियोजना"** में नवीन क्षमता में किसी परिवर्धन या फिर विद्यमान पारेषण प्रणाली में किसी आवर्धन को सम्मिलित किया जाएगा ;

(23) **"किया गया व्यय"** से अभिप्रेत है कोई निधि, भले ही वह पूंजी अथवा ऋण हो या फिर दोनों हों, जिस हेतु उपयोगी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा अधिग्रहण हेतु, वास्तविक रुप से रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य भुगतान किया गया है तथा इनमें वे वचनबद्धताएं अथवा देयताएं शामिल न होंगी, जिन हेतु कोई भुगतान जारी न किया गया हो;

(24) **"विस्तारित जीवनकाल"** से अभिप्रेत है किसी पारेषण प्रणाली या उसके किसी तत्व के उपयोगी जीवनकाल के बाद का जीवनकाल जैसा कि आयोग द्वारा प्रकरण–दर–प्रकरण उसके गुण–दोष के आधार पर अवधारित किया जाए;

(25) **"विशेष आकस्मिक परिस्थिति"** इन विनियमों के प्रयोजन के लिए किसी विशेष आकस्मिक परिस्थिति से तात्पर्य घटनाओं या परिस्थितियों या घटनाओं या परिस्थितियों के संयोजन से है जिनमें नीचे दर्शाई गई शामिल हैं जो विद्युत् पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आंशिक रूप से या फिर पूर्णतया किसी परियोजना को पूंजी निवेश अनुमोदन में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने में बाधित करती हों तथा यह भी कि ऐसी परिस्थितियां तथा घटनाएं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण में न हों तथा इन्हें टाला भी नहीं जा सकता हो, भले ही पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा युक्तियुक्त सावधानी बरती गई हो या फिर उसके द्वारा युक्तियुक्त उपयोगिता संव्यवहारों को अपनाया गया हो:

क. दैवी घटना जिनमें शामिल हैं तड़ित, सूखा, अग्निकाण्ड तथा विस्फोट, भूकम्प, ज्वालामुखी उद्‌भेद, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, प्रचण्ड तूफान, भूगर्भीय विस्मयकारी घटनाएं या फिर अपवादस्वरूप विपरीत मौसमी परिस्थितियां जो पिछले सौ वर्षों के सांख्यिकी आंकड़ों से अधिक हों; अथवा

ख. युद्ध की कोई घटना, हमला, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु की कार्यवाही, नाकाबन्दी, नौका–अवरोध, क्रान्ति, दंगा, विद्रोह या कोई सैनिक कार्यवाही; अथवा

ग. व्यापक औद्योगिक हडतालों तथा श्रमिक अशान्ति की घटनाएं जिनका भारत में व्यापक तौर पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो ; अथवा

घ. परियोजना हेतु सांविधिक अनुमोदन में विलंब, केवल उन्हें छोड़कर जहां विलम्ब परियोजना विकासक को आरोप्य हो ;

(26) **"ग्रिड संहिता"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण–द्वितीय) 2019 जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया जाए या फिर इसमें किये जाने वाले अनुवर्ती पुनः अधिनियमन ;

(27) **"कार्यान्वयन अनुबन्ध"** से अभिप्रेत है कोई अनुबन्ध अथवा प्रसंविदा जिसे किसी परियोजना के निष्पादन हेतु समन्वित रीति से (एक) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी अथवा (दो) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा अन्तर्संयोजित प्रणाली के पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा विकासक के मध्य पारेषण परियोजनाओं के सम्पादन हेतु, परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम निर्धारित करने तथा परियोजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण हेतु निष्पादित किया जाए;

(28) **"भारत शासन माध्यम"** से अभिप्रेत है भारत सरकार, राज्य सरकार (जहां परियोजना अवस्थित है) तथा भारत सरकार या राज्य सरकार (जिसके अंतर्गत परियोजना अवस्थित है) द्वारा नियंत्रित कोई मंत्रालय या विभाग या मण्डल (बोर्ड) या अभिकरण (एजेन्सी)या फिर न्यायिक कल्प जिसे भारत में सुसंबद्ध संविधियों द्वारा गठित किया गया हो;

(29) **"पूंजी निवेश अनुमोदन"** से अभिप्रेत विद्युत उत्पादन कम्पनी के संचालक मण्डल या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के सम्प्रेषण से है जिसमें परियोजना हेतु निधियों की व्यवस्था तथा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित समय–सीमा भी शामिल है :

परन्तु यह कि पूंजी निवेश अनुमोदन की तिथि की गणना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के संचालक मण्डल के संकल्प जारी होने की तिथि से की जाएगी, जहां संचालक मण्डल ऐसा अनुमोदन करने हेतु सक्षम है तथा अन्य प्रकरणों में यह सक्षम अधिकारी के स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से होगी ;

(30) **"किलोवाट ऑवर"** से अभिप्रेत है विद्युत ऊर्जा की इकाई (यूनिट) जिसका मापन एक घंटे की अवधि के दौरान विद्युत के एक किलोवाट अथवा एक हजार वाट मापन द्वारा उत्पादन या खपत के रूप में किया जाता है ;

(31) **"दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेता"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसका पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से दीर्घ–अवधि पारेषण सेवा अनुबन्ध है, जिनमें राज्यान्तरिक /अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पारेषण प्रभारों के भुगतान द्वारा माने गये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी भी शामिल हैं तथा इस पारिभाषिक शब्द का उपयोग नामोद्दिष्ट राज्यान्तरिक/अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली क्रेताओं के लिए भी अदल–बदल कर किया जा सकता है;

(32) **"मध्यम–अवधि पारेषण क्रेता"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो पारेषण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के संबंध में, तीन माह से अधिक तथा तीन वर्ष तक की अवधि का धारणाधिकार रखता हो;

(33) **"नवीन परियोजना"** से अभिप्रेत है पारेषण प्रणाली या उसका कोई तत्व/घटक जिसके द्वारा दिनांक 1.4.2019 को या तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है ;

(34) **"अधिकारी"** से अभिप्रेत है, आयोग का कोई अधिकारी ;

(35) **"प्रचालन तथा संधारण व्यय"** से अभिप्रेत है परियोजना अथवा उसके किसी भाग के प्रचालन तथा संधारण पर किया गया कोई व्यय तथा इसमें सम्मिलित होंगे जनशक्ति, मरम्मत, संधारण कल–पुर्जो, उपभोज्य सामग्रियों, बीमा तथा उपरिव्यय पर किये गये व्यय परन्तु इनमें ईंधन व्यय तथा जल प्रभार शामिल न होंगे;

(36) **"मूल परियोजना लागत"** से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक्कृत दिनांक तक परियोजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया गया पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया हो;

(37) **"परियोजना"** से अभिप्रेत है कोई पारेषण प्रणाली जिसमें संचार प्रणाली भी शामिल है;

(38) **"युक्तियुक्त होने संबंधी परीक्षण"** से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों के

अनुसार यथास्थिति किये गये पूंजीगत व्यय अथवा किए जाने वाले व्यय के युक्तियुक्त होने संबंधी जांच–पड़ताल ;

(39) **"निर्धारित वोल्टेज"** से अभिप्रेत है विनिर्माता का रूपांकन वोल्टेज जिस पर पारेषण प्रणाली प्रचालन हेतु रूपांकित की गई है तथा इनमें सम्मिलित है ऐसी निम्न वोल्टेज जिस पर पारेषण तन्तुपथ (लाईन) को प्रभारित किया गया हो, या फिर जिसे तत्समय दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं से परामर्श द्वारा प्रभारित किया जा रहा हो ;

(40) **"नियमित सेवा"** से अभिप्रेत है किसी पारेषण प्रणाली या उसके किसी तत्व के, सफल परीक्षण परिचालन पश्चात् राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इस आशय का एक प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के पश्चात् उपयोग हेतु उसे संचालित करना;

(41) **"अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि"** से अभिप्रेत है किसी विद्युत् पारेषण प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व तथा संबद्ध संचार प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि(यां), जैसा कि इसके बारे में पूंजी निवेश अनुमोदन में दर्शाया गया हो या फिर विद्युत् पारेषण सेवा अनुबंध में सहमति व्यक्त की गई हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हों;

(42) **"सचिव"** से अभिप्रेत है आयोग का सचिव;

(43) **"लघु–अवधि पारेषण क्रेता"** से किसी पारेषण प्रणाली के प्रयोग के संदर्भ में अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, जो पारेषण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के संबंध में तीन माह तक की लघु–अवधि हेतु धारणाधिकार रखता हो;

(44) **"प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि"** से अभिप्रेत परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारंभ हेतु पूंजी निवेश अनुमोदन में दर्शाई गई तिथि से है, तथा जहां कोई भी तिथि दर्शाई न गई हो वहां इसे पूंजी निवेश अनुमोदन की तिथि को प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि माना जाएगा;

(45) **"विद्युत्–दर या टैरिफ"** से अभिप्रेत है विद्युत् पारेषण हेतु प्रभारों की अनुसूची के साथ–साथ उसके निबंधन एवं शर्तें;

(46) **"विद्युत दर (टैरिफ)अवधि"** से अभिप्रेत है इन विनियमों के अंतर्गत वह अवधि जिस हेतु आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण किया गया है;

(47) **"पारेषण तन्तुपथ या लाईन"** का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (72) में उसके लिए परिभाषित किया गया है;

(48) **"पारेषण सेवा अनुबन्ध"** से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा दीर्घ–अवधि/मध्यम–अवधि क्रेता(ओं) के मध्य निष्पादित अनुबन्ध तथा इसमें थोक विद्युत पारेषण अनुबन्ध को भी सम्मिलित किया जाएगा ;

(49) **"पारेषण प्रणाली"** से अभिप्रेत है संबद्ध पूंजी निवेश अनुमोदन(ों) के अनुसार योजना के अन्तर्गत चिन्हांकित उप–केन्द्र, पारेषण तन्तुपथों तथा उपकेन्द्रों से संबद्ध उपकरण सहित

या उसके बगैर भी तन्तुपथों अथवा तन्तुपथों का समूह तथा इसमें संबद्ध संचार प्रणाली भी सम्मिलित होगी ;

(50) **"पारेषण अनुज्ञप्तिधारी"** से अभिप्रेत है कोई अनुज्ञप्तिधारी जिसे पारेषण तन्तुपथों को स्थापित करने अथवा उसका परिचालन करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो ;

(51) **"पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उपलब्धता कारक"** से अभिप्रेत है राज्य भार पारेषण केन्द्र द्वारा यथाप्रमाणित पारेषण प्रणाली की उपलब्धता ;

(52) **"परिचालन परीक्षण"** का पारेषण प्रणाली के संबंध में वही अर्थ होगा जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 5.1 (सात) में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(53) **"निष्पादन परीक्षण"** का पारेषण प्रणाली के संबंध में वही अर्थ होगा जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 5.1 (सात) में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(54) **"उपयोगी जीवनकाल"** से किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से निम्नानुसार अभिप्रेत होगा, अर्थात् :

(एक)	प्रत्यावर्ती विद्युत् धारा तथा दिष्ट विद्युत् धारा उपकेन्द्र	25 वर्ष
(दो)	गैसरोधी उपकेन्द्र	25 वर्ष
(तीन)	पारेषण तन्तुपथ (उच्च वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा तथा उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा को शामिल करते हुए)	35 वर्ष
(चार)	संचार प्रणाली	15 वर्ष

परन्तु यह कि परियोजनाओं के उपयोगी जीवनकाल के उपरान्त उसमें किसी वृद्धि के बारे में आयोग द्वारा प्रकरण–दर–प्रकरण उसकी गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा;

(55) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है किसी विद्यमान परियोजना के प्रकरण में दिनांक एक अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष तथा नवीन परियोजना के प्रकरण में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 31 मार्च तक की समयावधि।

(4.2) ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए हैं तथा परिभाषित नहीं किए गए हैं, परन्तु अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम में परिभाषित किए गए हों, वही अर्थ रखेंगे जैसा कि अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम में उनके लिए निरूपित किए गए हैं

अध्याय–2

वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि

5. वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि :

(5.1) किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से अभिप्रेत है, 00:00 बजे से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित की गई तिथि जिसके अन्तर्गत पारेषण प्रणाली का कोई तत्व, सफल परिचालन परीक्षण के उपरान्त तथा संचार संकेत के प्रेषण छोर से प्राप्ति छोर तक पहुंच उसके निर्धारित वोल्टेज स्तर पर नियमित सेवा में करेगा :

परन्तु –

(एक) किसी पारेषण प्रणाली के प्रकरण में जिसका निष्पादन विद्युत–दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया हो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की घोषणा पारेषण सेवा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(दो) जहां पारेषण तन्तुपथ अथवा विद्युत् उपकेन्द्र विद्युत के निष्क्रमण हेतु किसी विशिष्ट विद्युत् उत्पादन केन्द्र के प्रति समर्पित हो तथा समर्पित पारेषण तन्तुपथ का निष्पादन विद्युत–दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से हटकर किसी अन्य विधि से किया जा रहा हो वहां विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत् उत्पादन केन्द्र तथा विद्युत् पारेषण प्रणाली को यथासंभव व्यावहारिक रूप से साथ–साथ क्रियाशील करने के प्रयास करेगें तथा समुचित कार्यान्वयन अनुबंध के अनुसार इसका क्रियान्वयन प्रभावशील मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) विनियम अथवा किसी अनुवर्ती संशोधन अथवा पुनर्अधिनियमन के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि विद्युत उत्पादक के प्रति समर्पित पारेषण तन्तुपथ अथवा उपकेन्द्र का क्रियान्वयन विद्युत–दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर किया जा रहा हो, वहां पारेषण तन्तुपथ/उपकेन्द्र के क्रियाशील किये जाने के मिलान (समन्वयन) का अनुश्रवण (मानिटरिंग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(तीन) जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित पारेषण प्रणाली को किसी अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित पारेषण प्रणाली से संयोजित किया जाना अपेक्षित हो तथा दोनों पारेषण प्रणालियों का निष्पादन ऐसी विधि द्वारा किया गया हो जो प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से हटकर हो वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपनी पारेषण

प्रणाली को क्रियाशील किये जाने का मिलान (समन्वयन) यथासंभव व्यावहारिक रूप से अन्य अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली से करने के प्रयास करेगा तथा इसे समुचित क्रियान्वयन अनुबन्ध के माध्यम से निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करेगा। जहां पारेषण प्रणालियों में से कोई भी एक या फिर दोनों का क्रियान्वयन विद्युत–दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाए वहां पारेषण प्रणालियों के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण एक सुम्मेलित (matching) समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(चार) ऐसे प्रकरण में जहां पारेषण प्रणाली को निर्धारित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि को या इससे पूर्व नियमित सेवा में क्रियान्वन से प्रतिबाधित किया गया हो जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उसके सामग्री प्रदायक या उसके ठेकेदार उत्तरदायी न हों, परन्तु विलम्ब का कारण संबंधित विद्युत् उत्पादन केन्द्र के क्रियाशील होने में विलंब के कारण हो या फिर अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की ऊपरी–प्रवाह या अधो–प्रवाह पारेषण प्रणाली क्रियाशील होने के कारण हो, वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग से समुचित आवेदन के माध्यम से ऐसी पारेषण प्रणाली या उसके किसी तत्व के बारे में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के अनुमोदन के बारे में सम्पर्क करेगा।

(पांच) किसी तत्व द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि का प्राप्त किया जाना केवल उसी परिस्थिति में घोषित किया जाएगा जब समस्त तत्व जिनका पारेषण सेवा अनुबन्ध के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त किया जाना पूर्वाक्षेपित हो, क्रियाशील कर दिये जाएं। यदि पूर्वाक्षेपित तत्व को क्रियाशील किये जाने से पूर्व किसी तत्व का क्रियाशील किया जाना आवश्यक हो तो ऐसा उसी परिस्थिति में ही किया जा सकेगा जब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण यह पुष्टि करे कि ऐसा क्रियाशील किया जाना विद्युत प्रणाली के हित में होगा।

(छः) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, कम्पनी के अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंध संचालक के माध्यम से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि पारेषण तन्तुपथ, उपकेन्द्र तथा संचार प्रणाली सुसंबद्ध ग्रिड मानक तथा ग्रिड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप हैं तथा उनकी पूर्ण क्षमता के अनुरूप परिचालन हेतु सक्षम हैं।

टीप : अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उप–विनियम में उल्लेखित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी में "माना गया पारेषण अनुज्ञप्तिधारी" भी सम्मिलित होगा।

(सात) किसी विद्युत पारेषण प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व के संबंध में निष्पादन परीक्षण तथा परिचालन परीक्षण से अभिप्रेत है पारेषण प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व को विद्युत के चौबीस घंटे निरन्तर प्रवाह हेतु सफलतापूर्वक प्रभारित किया जाना, तथा सेवा के अन्तर्गत संचार संकेत के प्रेषण छोर से प्राप्ति छोर तक सम्प्रेषण मय सेवा स्थल पर आवश्यक मापयंत्र प्रणाली, सुदूर–मापयंत्र व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रणाली के बारे में संबद्ध क्षेत्रीय भार पारेषण केन्द्र द्वारा इस आशय बाबत जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करना।

(आठ) संचार प्रणाली या उसके किसी तत्व के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 00:00 बजे से घोषित की गई वह तिथि जिसको कि, इसके बारे में किसी संचार प्रणाली या उसके किसी तत्व को सेवा में सन्निविष्ट किया जाए, जिसके अन्तर्गत स्थल स्वीकृति परीक्षण के क्रियान्वन पश्चात् ध्वनि तथा तत्संबंधी नियंत्रण हेतु आंकड़े के अन्तरण सम्मिलित हैं, जैसा कि इसे तत्संबंधी भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित किया जाए।

(5.2) ऐसे प्रकरण में जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित पारेषण प्रणाली या उसका कोई तत्व वाणिज्यिक प्रचालन हेतु तैयार हो परन्तु अन्तर्संयोजित विद्युत उत्पादन केन्द्र या फिर अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली सम्मत परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन हेतु तैयार न हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष ऐसी पारेषण प्रणाली या उसके तत्व हेतु वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के अनुमोदन हेतु याचिका दाखिल कर सकेगा :

परन्तु यह कि इस खण्ड के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रचालन तिथि का अनुमोदन प्राप्त करने का इच्छुक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति विद्युत उत्पादन कम्पनी या अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या पारेषण प्रणाली के दीर्घ–अवधि ग्राहकों को न्यूनतम एक माह की पूर्व सूचना (नोटिस) वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बारे में प्रस्तुत करेगा :

परन्तु आगे यह और कि इस खण्ड के अन्तर्गत पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त करने के इच्छुक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अपनी याचिका के साथ निम्न प्रलेख भी प्रस्तुत करने होंगे :

(क) संबद्ध प्राधिकारी/विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी विद्युतीकरण प्रमाण–पत्र (Energisation certificate) ;

(ख) विद्युत भार के साथ या उसके बगैर प्रभारण तत्व (चार्जिंग एलीमेंट हेतु संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किया गया परिचालन परीक्षण (ट्रायल आपरेशन) प्रमाण–पत्र ;

(ग) पक्षकारों द्वारा निष्पादित कार्यान्वयन अनुबन्ध, यदि कोई हो ;

(घ) विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा पारेषण प्रणालियों की प्रगति के अनुश्रवण (मानिटरिंग) के संबंध में समन्वयन बैठकों का कार्यवाही विवरण तथा संबंधित पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियां ;

(ङ) इस खण्ड के अन्तर्गत प्रथम परन्तुक के अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी की गई सूचना तथा प्रत्युत्तर ; तथा

(च) पारेषण प्रणाली को पूर्ण किये जाने के बारे में, समस्त प्रकार से संबद्ध संचार प्रणाली को सम्मिलित करते हुए, कम्पनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा प्रबन्ध संचालक अथवा अध्यक्ष सह प्रबन्ध संचालक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

6. वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बेमेल होने पर उपचार की क्रियाविधि :

(एक) विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बेमेल होने पर पारेषण प्रभारों की देयता का अवधारण निम्न क्रियाविधि के अनुसार किया जाएगा :

(क) जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा संबद्ध पारेषण प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में (जो विद्युत उत्पादन केन्द्र की अनुसूचित प्रचालन तिथि से पूर्व होगी) वाणिज्यिक प्रचालन की प्राप्ति न की गई हो तथा आयोग द्वारा इन विनियमों के विनियम 5.2 के अनुसार ऐसी पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि को अनुमोदित किया जा चुका हो, वहां जब तक विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त न किया जाए, विद्युत उत्पादन कम्पनी का संबद्ध पारेषण प्रणाली के पारेषण प्रभारों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व होगा।

(ख) जहां संबद्ध पारेषण प्रणाली द्वारा संबंधित विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में (जो पारेषण प्रणाली की अनुसूचित प्रचालन तिथि से पूर्व न होगी) वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की प्राप्ति न की गई हो वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत के निष्क्रमण हेतु स्वयं के व्यय पर वैकल्पिक कार्यवाही की जाएगी अन्यथा जब तक पारेषण प्रणाली

द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की प्राप्ति न कर ली जाए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत उत्पादन कम्पनी को पारेषण प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

(दो) पारेषण प्रणाली तथा अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बेमेल होने की दशा में पारेषण प्रभारों की देयता का अवधारण निम्नानुसार किया जाएगा :

(क) जहां अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की अन्तर्संयोजित पारेषण प्रणाली द्वारा पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में वाणिज्यिक प्रचालन की प्राप्ति न कर ली जाए (जो अन्तर्संयोजित प्रणाली की अनुसूचित प्रचालन तिथि से पूर्व न होगी) तथा आयोग द्वारा इन विनियमों के विनियम 5 के खण्ड (2) के अनुसार ऐसी पारेषण प्रणाली के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि का अनुमोदन किया जा चुका हो वहां जब तक अन्तर्संयोजित पारेषण प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त न कर लिया जाए पारेषण प्रणाली के पारेषण प्रभारों के भुगतान का दायित्व अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का होगा।

(ख) जहां पारेषण प्रणाली द्वारा अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की अन्य अन्तर्संयोजित प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में (जो पारेषण प्रणाली की अनुसूचित प्रचालन तिथि से पूर्व न होगी) वहां जब तक पारेषण प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त न कर लिया जाए ऐसी अन्तर्संयोजित प्रणाली के पारेषण प्रभारों के भुगतान का दायित्व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का होगा जैसा कि इसका अवधारण आयोग द्वारा किया जाए।

अध्याय–3

विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण की प्रक्रिया

7. विद्युत–दर अवधारण :

(7.1) किसी पारेषण प्रणाली के बारे में विद्युत–दर का अवधारण सम्पूर्ण विद्युत पारेषण प्रणाली या उसके किसी तत्व या फिर संबद्ध संचार प्रणाली हेतु किया जा सकेगा।

परंतु यह कि

एक. दिनांक दिनांक 1.4.2019 से पूर्व पारेषण प्रणाली के समस्त तत्वों के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रकरण में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समयावधि 1.4.2019 से 31.3.2024 हेतु विद्युत–दर के अवधारण के प्रयोजन हेतु सम्पूर्ण पारेषण प्रणाली के बारे में समेकित याचिका दाखिल करेगा :

दो. दिनांक 1.4.2019 को या तत्पश्चात् पारेषण प्रणाली के तत्वों के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रकरण में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एक समेकित याचिका प्रक्रिया विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पारेषण प्रणाली के समस्त तत्वों को संयोजित करते हुए जिनके द्वारा आवेदन तिथि से अगले दो माह के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्ति किया जाना प्रत्याशित हो, दाखिल करेगा।

(7.2) आयोग, निम्नलिखित मामलों में अधिनियम की धारा 86 तथा धारा 36 सहपठित धारा 62 के अधीन, विद्युत्–दर (टैरिफ) तथा प्रभारों का निर्धारण करेगा, जिसमें उसकी निबंधन व शर्ते सम्मिलित होंगी, अर्थात् :–

(एक) राज्यान्तरिक विद्युत् पारेषण संबंधी ; तथा

(दो) अन्तर्वर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोगार्थ दरें एवं प्रभार, जिन पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा परस्पर समझौता न किया जा सकता हो।

(7.3) अधिनियम के भाग दस में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विद्युत् के किसी अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण जिसमें दो राज्यों के क्षेत्र सन्निहित हों, ऐसे पारेषण के इच्छुक पक्षकारों द्वारा आयोग को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण ऐसे प्रकरणों में किया जा सकेगा जहां ऐसी प्रणाली के उपयोग का उद्देश्य पूर्णरूपेण अनुज्ञप्तिधारी के हित में हो तथा यह भी कि ऐसा अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो।

8. विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धान्त :

(8.1) इन विनियमों का प्रयोजन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सुस्थिर वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर प्रचालन किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना है। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उनके लेखांकन विवरण पत्र, कंपनी कानून की आवश्यकता के अनुसार तैयार करने होंगे जो उसे आयोग को विनियम 11.1 में दिये गये विवरणानुसार नियमित रूप से प्रस्तुत करने होंगे। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञात किया गया प्रोत्साहन, आयोग द्वारा निर्धारित किये गये परिचालन मानदण्डों के विनिर्दिष्ट स्तरों से तत्संबंधी निष्पादन पर निर्भर करेगा। परिसम्पत्ति आधार में सम्मिलित किये जाने हेतु केवल युक्तियुक्त पूंजीगत व्यय को ही विचार में लिया जाएगा।

(8.2) इन विनियमों में अपनाये गये बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वाणिज्यिक सिद्धान्तों को अपनाया जाना, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की दक्ष कार्यप्रणाली का निष्पादन तथा हितग्राहियों के हितों को संरक्षण प्रदान करना है। टैरिफ अवधि हेतु, प्रचालन तथा लागत मानदण्ड, पूर्व अवधि में किये गये निष्पादनों के आधार पर विनिर्दिष्ट किये गये हैं। स्वीकार्य विद्युत्–दरों (टैरिफ) का अवधारण इन मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से बेहतर प्रदर्शन दर्शाये जाने पर बचत का एक भाग प्रतिलाभ के रूप में स्वयं के पास रखने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से दक्ष निष्पादन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग को प्रोत्साहित किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

(8.3) केवल ऐसे पूंजी–निवेश तथा पूंजीगत व्यय, जो इस संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप होंगे, ही विद्युत्–दर (टैरिफ) के माध्यम से वसूली किये जाने के लिए अनुज्ञात किये जाएंगे। इससे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा युक्तियुक्त पूंजी–निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

9. विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु आवेदन :

(9.1) विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु आवेदन–पत्र इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए।

(9.2) आयोग को सदैव या तो स्वप्रेरणा पर अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की किसी स्वविवेक याचिका द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा दायर याचिका पर विद्युत्–दर (टैरिफ) तथा उसके निबन्धन तथा शर्तों के अवधारण का अधिकार होगा तथा उसके द्वारा ऐसा अवधारण ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जैसी कि वह विनिर्दिष्ट की जाए ;

परन्तु यह कि ऐसे विद्युत्–दर (टैरिफ) के साथ उससे संबंधित निबंधन तथा शर्तों के अवधारण संबंधी कार्यवाही को समय–समय पर यथासंशोधित कार्य संचालन विनियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।

(9.3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को आवेदन के एक भाग के रूप में ऐसे प्ररूपों में, जैसा कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं, हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियों में जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(9.4) आयोग अथवा सचिव अथवा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामोद्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आवेदन के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को कतिपय अतिरिक्त जानकारी अथवा विवरण अथवा प्रलेख जो आवेदन को प्रक्रियाबद्ध किये जाने के प्रयोजन से अनिवार्य समझे जाएं, प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा सकेगा।

(9.5) समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं प्रलेख जो समस्त आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु आवश्यक हों, के सम्पूर्ण आवेदन के साथ प्राप्त होने की दशा में ही आवेदन को प्राप्त किया गया माना जाएगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए नामोद्दिष्ट अधिकारी आवेदन को संक्षिप्त रूप में एवं ऐसी रीति में, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को यह सूचित करेंगे कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए {कृपया देखें, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 समय–समय पर यथासंशोधित}। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी याचिका के समस्त विवरण आयोग द्वारा उसे स्वीकार किये जाने की तिथि से सात कार्यकारी दिवस के भीतर अपने वैबस्थल (वैबसाईट) पर प्रदर्शित करने होंगे।

(9.6) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकें तथा अभिलेख (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य–प्रतिलिपियां) के साथ लेखांकन विवरण–पत्र, परिचालन तथा लागत आंकड़े जैसा कि वे आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु चाहे जाएं, प्रस्तुत करेगा।

(9.7) आयोग, यदि उचित समझे, तो वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को प्रस्तुत की है, मय ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों की संक्षेपिका के (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य–प्रतिलिपियों के) उपलब्ध करा सकेगा :

परन्तु आयोग आदेश जारी कर, यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी, प्रलेख व पत्र/सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकारयुक्त होंगी जो निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे प्रलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग न किया जा सकेगा,

सिवाय उसके, जैसा कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से इस हेतु प्राधिकृत किया जाए।

(9.8) यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी इन विनियमों की आवश्कताओं के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से अपर्याप्त हो, तो आयोग द्वारा जैसा कि आयोग के पदाधिकारियों द्वारा पाई गई कमियों में सुधार किये जाने बाबत् निर्दिष्ट किया गया हो, आवेदन को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को एक माह के भीतर पुनः प्रस्तुत करने हेतु लौटा दिया जाएगा।

(9.9) यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी विनियमों के अनुसार हो तथा दावों के युक्तियुक्त परीक्षण हेतु पर्याप्त हो तो आयोग प्रतिवादियों से तथा अन्य कोई व्यक्ति, उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता संघो को शामिल करते हुए, याचिका दायर करने की तिथि से एक माह (अथवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई कोई समयावधि) के भीतर प्राप्त किए गए सुझावों तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, पर विचार करेगा। आयोग याचिकाकर्ता, प्रतिवादियों तथा किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति प्रदान की गई हो, की सुनवाई के बाद विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश जारी करेगा।

10. विद्युत् दर (टैरिफ) अवधारण की क्रियाविधि तथा उसका सत्यापन :

(10.1) आयोग, समय–समय पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधियों का निर्धारण करेगा। विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धान्त टैरिफ अवधि के दौरान ही लागू होंगे। इन विनियमों के अन्तर्गत, विद्युत् दर (टैरिफ) अवधारण के मार्गदर्शी सिद्धान्त आगामी विद्युत्–दर (टैरिफ) दिनांक एक अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि हेतु वैध रहेंगे।

(10.2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण अनुज्ञप्तिधारी की समग्र पारेषण प्रणाली हेतु किया जाएगा।

(10.3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ अवधि के आरंभ में एक याचिका दाखिल की जाएगी। आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) का सूक्ष्म परीक्षण तथा उसका सत्यापन, जिस हेतु यह अनुरोध किया जा रहा हो, के दौरान समीक्षा पूंजीगत व्यय तथा वास्तविक रूप से किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर की जाएगी। तथापि, इस प्रकार के सत्यापन में किसी प्रकार के असामान्य तथा अनियंत्रणीय अन्तर पर आयोग द्वारा अपने स्वविवेक अनुसार विचार किया जा सकेगा।

(10.4) आयोग द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत्–दर (टैरिफ) का सत्यापन निम्न नियन्त्रणीय तथा अनियन्त्रणीय मानदण्डों के निष्पादन के आधार पर किया जाएगा :

1. नियन्त्रणीय कारकों में निम्न सम्मिलित होंगे जो मात्र इन तक ही सीमित न होंगे :

(एक) परियोजना के कार्यान्वय में दक्षता जिसमें ऐसी परियोजना के विस्तार क्षेत्र में अनुमोदित परिवर्तन, संविधिक उद्ग्रहण (लेवी) अथवा कानून में परिवर्तन अथवा विशेष आकस्मिक परिस्थितियां ;

(दो) कानून में परिवर्तन

परन्तु यह कि अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक विद्युत् उत्पादन केन्द्र अथवा सम्बद्ध पारेषण प्रणाली के अक्रियाशील होने के कारण समय में वृद्धि अथवा मूल्य में वृद्धि के संबंध में किसी भी अतिरिक्त प्रभाव को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी वसूली विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य निष्पादित किये गये क्रियान्वयन अनुबंध के माध्यम से की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि पारेषण प्रणाली को विद्युत् उत्पादन केन्द्र की अनुसूचित प्रचालन तिथि को क्रियाशील नहीं किया जाता हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत् उत्पादन केन्द्र पर स्वयं की व्यवस्था के माध्यम से तथा लागत पर निष्क्रमण की तब तक व्यवस्था करेगा जब तक सम्बद्ध पारेषण प्रणाली को क्रियाशील न कर दिया जाए।

(10.5) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियंत्रणीय मानदण्डों के कारण होने वाले किसी वित्तीय लाभ का बंटवारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा दीर्घ–अवधि क्रेताओं के मध्य क्रमशः 50:50 के अनुपात में मासिक आधार पर वार्षिक मिलान के समय किया जाएगा।

(10.6) अनियंत्रणीय मानदण्डों के कारण वित्तीय लाभों तथा हानियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं को अन्तरित कर दिया जाएगा।

(10.7) यदि पूर्व में वसूल की गई विद्युत्–दर (टैरिफ) सत्यापन पश्चात् अवधारित की गई विद्युत्–दर से अधिक हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने दीर्घ–अवधि क्रेताओं को इस प्रकार वसूल की गई अधिक राशि का प्रत्यर्पण इन विनियमों के विनियम 10.9 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार करेगा।

(10.8) यदि पूर्व में वसूल की गई विद्युत्–दर (टैरिफ) सत्यापन पश्चात् अवधारित की गई विद्युत्–दर से कम हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं से आयोग द्वारा सत्यापन याचिका को दायर किए जाने संबंधी निर्धारित की गई समय–सीमाओं का परिपालन करते हुए कम वसूल की गई राशि की वसूली इन विनियमों के विनियम 10.9 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार करेगा। ऐसे प्रकरण में जहां यह पाया जाए कि सत्यापन याचिका दायर किए जाने में विलंब के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी है, वहां कम वसूल की गई राशि पर ब्याज देय नहीं होगा । तथापि, यदि सत्यापन याचिका को दाखिल करने में युक्तिसंगत विलंब संबंधी अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर

आयोग द्वारा विचार किया जाता है तो कम वसूल की गई राशि के बारे में, जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 10.9 में विनिर्दिष्ट किया गया है, प्रावधान लागू होगा ।

(10.9) विद्युत् उत्पादन कम्पनी द्वारा कम वसूल की गई राशि अथवा अधिक वसूल की गई राशि को मय साधारण ब्याज के तत्संबंधी वर्ष की प्रथम अप्रैल को लागू बैंक दर के बराबर राशि की वसूली या प्रत्यर्पण आयोग द्वारा जारी किये गये विद्युत्–दर (टैरिफ) आदेश की तिथि से छः माह के भीतर किया जाएगा।

(10.10) बहुवर्षीय विद्युत्–दर (टैरिफ) याचिका की प्रस्तुति हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतिलिपि में मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय–समय पर यथासंशोधित विनिर्दिष्ट प्ररूपों मे ं इन विनियमो ं की अधिसूचना तिथि से साठ दिवस के भीतर की जाएगी।

(10.11) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार हार्ड तथा साफ्ट प्रति में मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतानयोग्य फीस) विनियम, 2004 (समय–समय पर यथासशोधित) प्ररूपों में प्रतिवर्ष दिनांक 15 नवम्बर तक सत्यापन अभ्यास के क्रियान्वयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

11. वार्षिक लेखे, प्रतिवेदनों आदि का प्रस्तुतिकरण :

(11.1) प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को लेखों के वार्षिक विवरण–पत्र तथा ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करने होंगे। वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जाने के अतिरिक्त, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विभिन्न विनियमों तथा अनुज्ञप्ति शर्तो की सूचना सम्बन्धी आवश्कताओं का भी अनुपालन करना होगा।

(11.2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वांछित जानकारी की प्रस्तुति के अभाव में, आयोग स्व–प्रेरणा द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा।

12. विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण में अंतराल :

(12.1) किसी भी वित्तीय वर्ष में, विद्युत्–दर (टैरिफ) अथवा विद्युत्–दर का कोई भी अंश सामान्यतः एक वर्ष में एक से अधिक बार संशोधित नहीं किया जाएगा। आयोग, स्वयं द्वारा समाधान हो जाने पर, इस हेतु लिखित में कारणों को अभिलिखित किये जाने के पश्चात् ही विद्युत्–दर में संशोधन की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(12.2) इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी वित्तीय वर्ष में वसूल किए जाने के लिए अनुज्ञात व्ययों की प्रतिपूर्ति, किसी अनुवर्ती अवधि हेतु स्वीकृत अवधारित विद्युत्–दर (टैरिफ) में समायोजनों के अध्यधीन होगी, यदि आयोग का यह समाधान हो

जाता है कि कोई राशि आधिक्य अथवा कमी जो उसके वास्तविक अथवा किये गये व्ययों से संबंधित है, का समायोजन अपरिहार्य है एवं वह किन्हीं विशिष्ट कारणों से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण में न होने के कारण है।

13. सुनवाई :

(13.1) विद्युत्–दर (टैरिफ) आवेदन पर सुनवाई संबंधी प्रक्रिया, समय–समय पर यथासंशोधित मध्य प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार की जाएगी।

14. आयोग के आदेश :

(14.1) किसी याचिका के दाखिल किये जाने पर, आयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से किसी अतिरिक्त जानकारी, विवरण, प्रलेख, सार्वजनिक अभिलेख आदि, जैसा कि आयोग उचित समझे, की मांग कर सकेगा ताकि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली गणनाओं, अनुमानों एवं अभिकथनों की समीक्षा कर सके।

(14.2) जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा, आयोग समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, के उपबंधों के अनुरूप समुचित आदेश जारी कर सकेगा।

15. अनुमोदित विद्युत्–दर (टैरिफ) से भिन्न दर प्रभारित करना :

(15.1) किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को, जिसे हितग्राहियों से आयोग द्वारा अनुमोदित से भिन्न विद्युत्–दर (टैरिफ) प्रभारित करते हुए पाया जाएगा, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है, उसे अधिनियम की धारा 142 के अधीन तथा अधिनियम के अन्य कतिपय उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय अन्य किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दण्डित किये जाने की पात्रता होगी। जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो तो इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को उन हितग्राहियों को टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है, मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ, जिसकी दर 01.04.2019 को या फिर तत्संबंधी वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में बैंक दर होगी, मय आयोग द्वारा अधिरोपित की गई किसी अन्य किसी शास्ति के, प्रत्यर्पण की जाएगी।

16. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक समीक्षा :

(16.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी नियतकालिक विवरणिकाएं जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं जिनमें परिचालन तथा लागत आंकड़े दर्शाये गये हों, आयोग को उसके आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने के संबंध में अनुश्रवण (मानिटरिंग) हेतु प्रस्तुत करेगा।

(16.2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को उसके निष्पादन के वार्षिक विवरण–पत्र तथा लेखा के साथ–साथ अंकेक्षित लेखों के अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

अध्याय – चार

विद्युत्–दर (टैरिफ) संरचना

17. विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु याचिका :

(17.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अध्याय – तीन में उपबंधों के अनुपालन में ऐसे प्ररूपों में संलग्न कर, जैसा कि इन्हें मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, (समय–समय पर यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट किया जाए, के अनुसार तथा आयोग द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये सिद्धान्तों के आधार पर विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण बावत एक याचिका दाखिल करेगा। ये सिद्धांत इन विनियमों के प्रवृत होने की तिथि अर्थात् एक अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024 की अवधि तक कार्यान्वित किये जाएंगे।

(17.2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों अथवा दीर्घ–अवधि क्रेताओं को दिनांक 1.4.2019 से प्रारम्भ होने वाली अवधि से प्रावधिक तौर पर दिनांक 31.3.2019 को प्रयोज्य दर पर देयक प्रस्तुत किया जाना जारी रखेगा जब तक आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार विद्युत्–दर (टैरिफ) का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु जहां प्रावधिक रूप से बिल की गई विद्युत्–दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत अनुमोदित अन्तिम विद्युत्–दर से अधिक अथवा कम हो तो यथास्थिति, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों अथवा पारेषण क्रेताओं से इस राशि का प्रत्यर्पण अथवा वसूली टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में अथवा उक्त वर्ष की 1 अप्रैल को प्रयोज्य बैंक दर पर साधारण ब्याज सहित अन्तिम विद्युत–दर आदेश जारी होने की तिथि से छह माह के भीतर करेगा।

18. पारेषण विद्युत–दर :

राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली हेतु विद्युत के पारेषण हेतु विद्युत–दर में वार्षिक स्थाई लागत की वसूली हेतु इन विनियमों के विनियम 23 में विनिर्दिष्ट घटकों को सम्मिलित किया जाएगा।

19. पूंजीगत लागत एवं पूंजीगत संरचना :

(19.1) किसी परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न मदें सम्मिलित होंगी :

(क) कार्य के मूल प्रावधान के अनुसार किया गया व्यय अथवा वह जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें निर्माण अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्त–प्रबन्धन प्रभार, निर्माण अवधि के दौरान ऋण पर विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण कोई लाभ अथवा

हानि, जो परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक, जैसा कि आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त स्वीकार किया गया हो तथा विद्युत–दर अवधारण का आधार बनेगा, इस प्रकार होगा – (एक) लगाई गई 70% निधि के बराबर, ऐसे मामलों में जहां वास्तविक पूंजी, लगाई गई निधि से 30% अधिक हो, आधिक्य पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा, अथवा (दो) लगाई गई निधि के 30% से कम लगाई गई निधि के प्रकरण में, ऋण की वास्तविक राशि के बराबर।

(ख) निम्नलिखित उच्चतम मानदण्डों के अध्यधीन रहते हुए प्रारंभिक कलपुर्जों की पूंजीकृत राशिः–

(एक) पारेषण तन्तुपथ – 1.00%

(दो) पारेषण उपकेन्द्र (हरित क्षेत्र) – 4.00%

(तीन) पारेषण उपकेन्द्र (भूरा क्षेत्र) – 6.00%

(चार) श्रृंखलाबद्ध क्षतिपूर्ति उपकरण तथा उच्च वोल्टेज दिष्ट विद्युत् धारा केन्द्र (स्टेशन)–4.00%

(पांच) गैस–रोधी उपकेन्द्र (जीआईएस)– 5.00%

हरित क्षेत्र (ग्रीन फील्ड) – 5.00%

भूरा क्षेत्र (ब्राऊन फील्ड) – 7.00%

(छह) संचार प्रणाली – 3.5%

(सात) स्थैतिक समकालिक क्षतिपूरक (स्टैटिक सिनक्रोनस कम्पैन्सेटर) – 6.00%

परन्तु :

एक. जहां आयोग द्वारा प्रारम्भिक कलपुर्जों के लिए मानदण्डीय मापदण्डों का प्रकाशन पूंजीगत लागत हेतु मानदण्डीय मापदण्डों के भाग के रूप में किया गया हो, वहां ऐसे मापदण्ड उपरोक्त विनिर्दिष्ट किए गए मानदण्डों के अपवर्जन के लिए लागू होंगे :

दो. जहां कहीं विद्युत् उत्पादन केन्द्र द्वारा किसी पारेषण उपकरण को विद्युत् उत्पादन परियोजना के रूप में धारित किया गया हो, वहां ऐसे उपकरणों बाबत् प्रारंभिक कलपुर्जों के लिए उच्चतम मानदण्ड इन विनियमों के अन्तर्गत पारेषण प्रणाली के लिए निर्दिष्ट उच्चतम मानदण्डों के अनुसार होंगे।

(ग) विनियम 20 के अन्तर्गत अवधारित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय :

परन्तु यह कि वे परिसम्पत्तियां जो परियोजना का भाग हों, परन्तु उपयोग में न हों, को पूंजीगत लागत से पृथक् रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पूर्व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसम्पत्तियों के उपयोग के माध्यम से अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, को पूंजीगत लागत में समायोजित किया जाएगा।

(19.2) आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगी :

परन्तु आयोग द्वारा किसी वैयक्तिक पारेषण परियोजना के प्रकरण में, पूंजीगत लागत का युक्तियुक्त परीक्षण केन्द्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये गये मार्गदर्शी मानदण्डों पर आधारित किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी मानदण्डों का अनुप्रयोग न किया जाता हो, वहां युक्तियुक्त परीक्षण में पूंजीगत व्यय, वित्त–प्रबंधन योजना, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग, लागत–आधिक्य तथा समय–आधिक्य और अन्य ऐसे विषय शामिल किये जाएंगे जैसा कि वे आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु उपयुक्त समझे जाएं:

परन्तु यह और कि जहां पारेषण सेवा अनुबंध में वास्तविक व्यय की किसी उच्चतम सीमा का प्रावधान हो, वहां आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु अनुज्ञेय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ऐसी उच्चतम सीमा पर विचार किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, आयोग द्वारा दिनांक 1.4.2019 के पूर्व स्वीकार की गई पूंजीगत लागत तथा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के तत्संबंधी वर्ष हेतु प्रक्षेपित की गयी हो, वहां अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया जाए, पूंजीगत लागत के अवधारण का आधार बनेगा :

परन्तु आगे यह और कि ऐसे प्रकरणों में जहां मानदण्डीय मापदण्ड निर्दिष्ट किये गये हों, वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी मानदण्डीय मापदण्डों से पूंजीगत लागत में वृद्धि के संबंध में ऐसे मानदण्डीय मापदण्ड से अधिक लागत को अनुज्ञेय किये जाने बाबत, आयोग की संतुष्टि हेतु इसके कारण प्रस्तुत करेगा।

(19.3) आयोग द्वारा लागत अनुमानों का सूक्ष्म परीक्षण पूंजीगत लागत, वित्त प्रबंध योजना, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज राशि, प्रौद्योगिकी के दक्ष प्रयोग तथा इसी प्रकार की अन्य मदों के संबंध में इनके युक्तियुक्त होने के संबंध में किया जाएगा। आयोग इस संबंध में, जैसा कि वह आवश्यक समझे, विशेषज्ञ परामर्श भी प्राप्त कर सकेगा।

(19.4) पूंजी एवं ऋण के आनुपातिक अंशदान के संबंध में पूंजीगत लागत की पुनर्संरचना को विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के दौरान अनुज्ञेय किया जा सकेगा बशर्ते ऐसी कार्यवाही

विद्युत्–दर को नकारात्मक तौर पर प्रभावित न करे । इस प्रकार की गई किसी पुनर्संरचना द्वारा प्राप्त कतिपय लाभ को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के दीर्घ–अवधि राज्यान्तरिक निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को 50 : 50 के अनुपात में अन्तरित किया जाएगा।

(19.5) निर्माण अवधि के दौरान ब्याज :

(एक) निर्माण अवधि के दौरान ब्याज की गणना ऋण से तत्संबंधी ऋण निधि के निषेचन (इन्फ्यूजन) की तिथि से तथा अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक निधि की युक्तियुक्त चरणबद्धता को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(दो) अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त करने में विलम्ब के कारण निर्माण अवधि के दौरान ब्याज की अतिरिक्त लागतों के प्रकरण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को इस प्रकार के विलंब हेतु विस्तृत औचित्य मय सहायक प्रलेखों के निधि की चरणबद्धता को शामिल करते हुए प्रस्तुत करने होंगे :

परन्तु यदि विलंब पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोप्य न हो तथा ऐसा इन विनियमों के विनियम 10.4 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अनियंत्रणीय कारकों के कारण हो, तो निर्माण अवधि के दौरान ब्याज को यथोचित युक्तिसंगत परीक्षण उपरान्त अनुज्ञेय किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि वास्तविक ब्याज पर केवल निर्माण अवधि के दौरान ब्याज को अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से परे विलम्ब उक्त सीमा तक अनुज्ञेय किया जा सकेगा जैसा कि यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर पाया जाए, जिसके बारे में निधि की युक्तियुक्त चरणबद्धता को ध्यान में रखकर युक्तियुक्त जांच–पड़ताल पूर्व में कर ली गई हो।

(19.6) निर्माण अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय :

(एक) निर्माण अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय की गणना शून्य तिथि तथा अनुसूचित वाणिज्यिक तिथि तक पूर्व–परिचालन व्ययों को ध्यान में रखकर की जाएगी :

परन्तु यह कि निर्माण अवधि के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक तिथि तक की अवधि तक निक्षेप राशियों को अथवा अग्रिम राशियों को या फिर अन्य प्राप्तियों के कारण अर्जित राजस्व के बारे में निर्माण अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय में कमी किये जाने हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

(दो) अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त करने में निर्माण अवधि के दौरान विलंब के कारण आनुषंगिक व्ययों की अतिरिक्त लागतों के प्रकरण में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी विलम्ब अवधि के दौरान तथा विलंब से तत्संबंधी परिनिर्धारित क्षति जिनकी वसूली की गई हो या फिर जिनकी वसूली की जाना

अपेक्षित हो, विस्तृत औचित्य दर्शाते हुए मय सहायक प्रलेखों के, आनुषंगिक व्यय के विवरणों को सम्मिलित करते हुए, प्रस्तुत करने होंगे :

परन्तु यदि विलंब पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोप्य न हो तथा ऐसा इन विनियमों के विनियम 10.4 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अनियंत्रणीय कारकों के कारण हो तो निर्माण अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय को यथोचित युक्तिसंगत परीक्षण के बाद अनुज्ञेय किया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि जहां विलंब पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियोजित किसी अभिकरण (एजेन्सी) या ठेकेदार या सामग्री प्रदायक पर आरोप्य हो वहां ऐसे अभिकरण (एजेन्सी) या ठेकेदार या सामग्री प्रदायक से परिनिर्धारित क्षति बाबत की गई वसूली को पूंजीगत लागत की संगणना हेतु लेखबद्ध किया जाएगा।

(तीन) जहां अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के परे समयाधिक्य यथोचित रूप से युक्तियुक्त होने के बाद अनुज्ञेय न हो वहां लागत में परिवर्तन के कारण समयाधिक्य से तत्संबंधी समय वृद्धि के कारण पूंजीगत लागत में वृद्धि को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के सामग्री प्रदायक या ठेकेदार के साथ सम्पन्न अनुबंधों में परिवर्तन संबंधी प्रावधान के होते हुए भी पूंजीकरण से अपवर्तित किया जा सकेगा।

20. अतिरिक्त पूंजीकरण तथा अपूंजीकरण :

(20.1) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत, निम्न कारणों से वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के उपरान्त पृथक्कृत तिथि तक किया गया पूंजीगत व्यय, अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, को आयोग द्वारा निम्न मदों के अन्तर्गत अपने विवेकानुसार युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन रहते हुए स्वीकार किया जा सकेगाः

(क) अनुन्मोचित देयताएं जिनका किसी भविष्यगामी तिथि को भुगतान किया जाना मान्य किया गया हो;

(ख) वे कार्य जिन्हें निष्पादन हेतु स्थगित रखा गया हो;

(ग) माध्यस्थम प्रकरण में पारित किसी अधिनिर्णय के अनुपालन में अथवा विधि के किसी न्यायालय के किसी आदेश अथवा डिक्री के परिपालन में दायित्वों के निर्वहन हेतु ;

(घ) कानून में परिवर्तन के कारण अथवा किसी विद्यमान कानून के अनुपालन में; तथा

(ङ) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत विनियम 19.1(ख) के उपबन्धों के अध्यधीन प्रारंभिक पूंजीगत कलपुर्जो की अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतुः

परन्तु कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत परिसम्पत्तिवार कार्यों/कार्यवार सम्मिलित किये गये कार्यों के विवरण मय, व्यय के प्राक्कलनों के, भविष्यगामी तिथि हेतु मान्यता प्राप्त देयताएं तथा निष्पादन हेतु स्थगित रखे गये कार्यों की सूची विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

(20.2) पृथक्कृत तिथि के उपरान्त किया गया निम्न प्रकार का पूंजीगत व्यय अथवा जिसे किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के अध्यधीन रहते हुए, आयोग के स्वविवेक अनुसार अनुज्ञेय किया जा सकेगा :

(क) माध्यस्थम प्रकरण में पारित किसी अधिनिर्णय के अनुपालन में अथवा विधि के किसी न्यायालय के किसी आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन में दायित्वों के निर्वहन हेतु ;

(ख) कानून में किसी परिवर्तन के कारण अथवा विद्यमान कानून के अनुपालन में;

(ग) रिले, नियंत्रण तथा उपकरण, कम्प्यूटर प्रणाली, विद्युत् तन्तुपथ संवाहक संसूचना, डीसी बैटरियां, अप्रचलित प्रौद्योगिकी के कारण प्रतिस्थापन, दोष के स्तर में वृद्धि के कारण स्विचयार्ड उपकरण को बदला जाना, टावर सुदृढ़ीकरण, संचार उपकरण, चीनी–मिट्टी रोधियों को पॉलीमर रोधियों से बदला जाना, आकस्मिक पुनर्स्थापना प्रणाली, रोधियों की सफाई हेतु अधोसंरचना, क्षतिग्रस्त उपकरणों की पुनर्स्थापना जो बीमा के अन्तर्गत न आता हो, अतिरिक्त व्यय जो पारेषण प्रणाली के सफल तथा दक्ष प्रचालन हेतु किया जाना अनिवार्य हो गया हो ;

(घ) संयंत्र की उच्चतर सुरक्षा तथा बचाव की आवश्यकता हेतु किए जाने संबंधी व्यय जैसा कि राष्ट्रीय सुरक्षा/आन्तरिक सुरक्षा हेतु उत्तरदायी सांविधिक प्राधिकरणों के समुचित शासकीय अभिकरणों द्वारा इसकी आवश्यकता के बारे में परामर्श दिया गया हो या निर्देशित किया गया हो;

(ड.) किसी पृथक्कृत तिथि से पूर्व निष्पादित कार्यों के बारे में कोई देयता, युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त ऐसे किन्हीं अनुन्मोचित दायित्वों के विवरण, संवेष्टन (पैकेज) की कुल अनुमानित लागत, किसी भुगतान को रोकने के बारे में कारण दर्शाना तथा ऐसे भुगतानों को उन्मोचित करना, आदि ; तथा

(च) पृथक्कृत तिथि के उपरान्त, आयोग द्वारा कार्यों के बारे में कोई देयता जो वास्तविक भुगतान द्वारा ऐसे दायित्वों के निर्वहन की सीमा के अन्तर्गत हो :

परन्तु कोई भी व्यय जिसका दावा नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण एवं प्रचालन एवं संधारण व्ययों के अन्तर्गत मरम्मत तथा अनुरक्षण हेतु किया गया हो, का दावा इस विनियम के अन्तर्गत नहीं किया जा सकेगा।

(20.3) परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में से निम्न पहलुओं को या तो शामिल किया जाएगा या फिर हटा लिया जाएगा :

(क) ऐसी परिसम्पत्तियां जो परियोजना का भाग तो हैं परन्तु जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा है जैसा कि इस बारे में विद्युत–दर (टैरिफ) याचिका में घोषित किया जाए;

(ख) एक परियोजना से अन्य परियोजना को अप्रचलन अथवा स्थानान्तरण के कारण या फिर प्रतिस्थापन अथवा हटाये जाने के कारण भी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बाद अपूंजीकृत परिसम्पत्ति :

परन्तु यह कि जब तक किसी परिसम्पत्ति का एक परियोजना से अन्य परियोजना को स्थानान्तरण स्थायी प्रकृति का न हो, तब तक संबंधित परिसम्पत्तियों का अपूंजीकरण नहीं किया जाएगा ;

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार अथवा किसी सांविधिक निकाय अथवा प्राधिकरण से परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त किये गये किसी अनुदान को, जिसमें अदायगी के दायित्व को शामिल न किया गया हो, को ब्याज पर ऋण की गणना, पूंजी पर प्रतिलाभ तथा मूल्यह्रास के प्रयोजन हेतु पूंजीगत लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(20.4) किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण के प्रकरण में, अपूंजीकरण की तिथि की स्थिति में, ऐसी परिसम्पत्ति की मूल लागत को सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा तत्संबंधी ऋण के साथ–साथ पूंजी को भी क्रमशः बकाया ऋण राशि तथा पूंजी की राशि में से उक्त वर्ष के दौरान जब ऐसा अपूंजीकरण घटित हो जिसके अन्तर्गत यथोचित तौर पर उक्त वर्ष को सम्यक रूप से विचार में लेते हुए जब इसका पूंजीकरण किया गया हो, घटाया जाएगा।

21. **नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण** :

(21.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली के उपयोगी जीवनकाल के विस्तार के प्रयोजन हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण पर होने वाले व्यय की आपूर्ति के प्रयोजन से, आयोग के समक्ष एक आवेदन प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ, एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें उसका सम्पूर्ण उद्देश्य, औचित्य, लागत–लाभ विश्लेषण, किसी संदर्भ तिथि से जीवनकाल की अनुमानित वृद्धि, वित्तीय समुच्चय, व्यय का प्रक्रम, कार्य सम्पन्न करने संबंधी कार्यक्रम, संदर्भ मूल्य स्तर, कार्य पूर्ण करने संबंधी अनुमानित लागत मय विदेशी मुद्रा घटक के, यदि कोई हो, हितग्राहियों का सहमति–पत्र तथा अन्य कोई जानकारी जिसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुसंगत माना जाए, संलग्न किया जाएगा :

परन्तु यह कि पारेषण प्रणाली जिस हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण का दायित्व वहन करने की इच्छा व्यक्त की गई हो, के लिए ऐसे नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु हितग्राहियों की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा तथा इसे याचिका के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(21.2) जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता हो, ऐसे प्रकरण में प्रस्ताव का अनुमोदन लागत–प्राक्कलनों के युक्तियुक्त होने, वित्तीय प्रबंधन योजना, कार्यपूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग, लागत–लाभ विश्लेषण, तथा ऐसे अन्य कारक जो आयोग द्वारा सुसंगत समझे जाएं, पर यथोचित विचारोपरान्त किया जाएगा।

(21.3) नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी कार्य पूर्ण होने पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत–दर के अवधारणा हेतु एक याचिका दाखिल करेगा। किया गया कोई व्यय अथवा किये जाने वाला कोई प्रक्षेपित व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी व्यय तथा जीवनकाल के विस्तार संबंधी प्राक्कलनों के युक्तियुक्त परीक्षण पश्चात् तथा प्रतिस्थापित की गई परिसम्पत्तियों की मूल राशि के अपलेखन पश्चात तथा मूल परियोजना लागत से संचित अवमूल्यन परन्तु अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम को सम्मिलित करते हुए, को घटाकर स्वीकार किया गया हो, विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगा।

22. **ऋण–पूंजी अनुपात** :

(22.1) ऐसी किसी परियोजना के संबंध में जिसे 1.4.2019 को या तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तगर्त घोषित किया गया हो, वहां ऋण–पूंजी अनुपात वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में 70:30 माना जाएगा। यदि वास्तविक रूप से निवेश की पूंजी, पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से अधिक हो, वहां 30 प्रतिशत से अधिक पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा :

परन्तु यह कि :

(एक) जहां निवेश की गई पूंजी पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से कम हो, वहां विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु वास्तविक पूंजी को ही मान्य किया जाएगा ;

(दो) विदेशी मुद्रा में निवेश की गई पूंजी को प्रत्येक निवेश तिथि को भारतीय रूपयों में नामोद्दिष्ट किया जाएगा ; तथा

(तीन) ऋण : पूंजी अनुपात के प्रयोजन हेतु परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त किये गये किसी अनुदान को पूंजी संरचना का भाग नहीं माना जाएगा।

व्याख्या : अधिमूल्य बाबत्, यदि कोई हो, जिसकी उगाही पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के निधीयन हेतु की गयी हो, शेयर पूंजी जारी करते समय तथा आन्तरिक संसाधनों के निवेश हेतु जिसका सृजन मुक्त सुरक्षित निधि में से किया गया हो, को पूंजी पर प्रतिलाभ केवल उसी दशा में की गई गणना हेतु प्राप्त की गई पूंजी के रूप में माना जाएगा यदि ऐसी अधिमूल्य राशि तथा आन्तरिक संसाधनों को विद्युत् पारेषण प्रणाली के पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु वास्तविक रूप से उपयोग में लाया गया हो।

(22.2) ऐसे प्रकरण में जहां पारेषण प्रणाली, जिसमें संचार प्रणाली भी सम्मिलित है, को दिनांक 1.4.2019 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2019 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु अनुज्ञात किये गये ऋण–पूंजी (इक्विटी) अनुपात पर विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु विचार किया जाएगा।

(22.3) ऐसे प्रकरण में, जहां पारेषण प्रणाली, जिसमें संचार प्रणाली भी सम्मिलित है, को दिनांक 1.4.2019 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो परन्तु जहां आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2019 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण के लिए ऋण : पूंजी के अनुपात का निर्धारण न किया गया हो, वहां आयोग द्वारा ऋण : पूंजी अनुपात का अनुमोदन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई वास्तविक जानकारी के आधार पर किया जाएगा।

(22.4) ऐसा कोई व्यय जो दिनांक 1.4.2019 को अथवा उसके उपरांत किया गया अथवा किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, जैसा कि आयोग द्वारा इसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु स्वीकार किया गया हो, ऐसे में जीवनकाल की वृद्धि हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण व्यय को विनियम 22.1 में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार सेवाकृत किया जाएगा।

अध्याय–5

पारेषण विद्युत–दर (टैरिफ) तथा वार्षिक स्थाई लागत की संगणना

23. वार्षिक स्थाई लागत :

(23.1) कोई विद्युत पारेषण प्रणाली जिसमें उसकी संचार प्रणाली भी सम्मिलित है, की वार्षिक स्थाई लागत में निम्न घटक सम्मिलित होंगे :

(क) पूंजी पर प्रतिलाभ;

(ख) ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार;

(ग) अवमूल्यन/अवक्षयण ;

(घ) पट्टा/भाड़ा–क्रय प्रभार;

(ड.) प्रचालन तथा संधारण व्यय ; तथा

(च) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज।

24. पूंजी पर प्रतिलाभ :

(24.1) पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना, चुकाई गई पूंजी पर रूपयों के रूप में विनियम 22 में अवधारित किये गये अनुसार की जाएगी।

(24.2) पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना 15.5 प्रतिशत की आधार दर पर की जाएगी, जिसे इस विनियम के खण्ड 24.3 के अनुसार समेकित किया जाएगा :

परन्तु यह कि :

(एक) किसी नवीन परियोजना हेतु प्रतिलाभ की दर को एक प्रतिशत की दर से ऐसी अवधि हेतु, जैसा कि इसके बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए, कम कर दिया जाएगा यदि पारेषण प्रणाली को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत किसी आंकड़े, भार प्रेषण केन्द्र अथवा सुरक्षा प्रणाली तक सुदूर मापयंत्र व्यवस्था, को क्रियाशील किये बगैर, घोषित किया जाना पाया गया हो:

(दो) जब कभी भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर पारेषण प्रणाली में उपरोक्त आवश्यकता का अभाव पाया जाता हो तो पूंजी पर प्रतिलाभ को उक्त अवधि तक के लिये जब तक कि यह कमी की दर जारी रहती है, 1% की दर से कम कर दिया जाएगा।

(24.3) पूंजी पर प्रतिलाभ की आधार दर को, जैसा कि आयोग द्वारा इसे विनियम 24.2 द्वारा अनुज्ञात किया गया हो, तत्संबंधी वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ समेकित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुसंगत वित्त अधिनियमों के प्रावधानों से संरेखित प्रभावी कर दर को संबंधित वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से किए गए कर भुगतान के आधार पर माना जाएगा । अन्य आय प्रवाह पर वास्तविक आयकर, विलम्बित कर (अर्थात, गैर–पारेषण व्यापार से प्राप्त आय) को शामिल करते हुए, को "प्रभावी कर दर" की गणना हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(24.4) पूंजी पर प्रतिलाभ की दर की गणना को तीन दशमलव बिन्दुओ तक पूर्णांक किया जाएगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

पूंजी पर पूर्व–कर प्रतिलाभ की दर = आधार दर/(1-t)

जहां 't' इस विनियम के उपखण्ड 24.3 के अनुसार प्रभावी कर दर है तथा इसकी गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अनुमानित लाभ तथा भुगतान की जाने वाली कर राशि के आधार पर कम्पनी को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु लागू सुसंगत वित्तीय अधिनियम के प्रावधानों से संरेखित आनुपातिक आधार पर, गैर–पारेषण व्यापार से आय को असम्मिलित करते हुए तथा उस पर तत्संबंधी कर के आधार पर की जाएगी। ऐसे प्रकरण में, जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान कर रहा हो, वहां "t" को न्यूनतम वैकल्पिक कर, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए, माना जाएगा।

उदाहरण :

(एक) ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, जो न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान 21.55 प्रतिशत की दर से, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए कर रहा हो, वहां पूंजी पर प्रतिलाभ की दर = 15.50/ (1 – 0.2155) =19.758 प्रतिशत होगी।

(दो) ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, जो सामान्य निकाय कर का भुगतान, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए, कर रहा हो वहां :

(क) यदि वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु विद्युत् पारेषण व्यापार से अनुमानित सकल आय रू. 1000 करोड़ हो,

(ख) तथा उपरोक्त राशि पर अनुमानित अग्रिम कर की राशि रू. 240 करोड़ हो, वहां

(ग) वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रभावी कर दर = रू. 240 करोड़/रू0 1000 करोड़ = 24 प्रतिशत होगी।

(घ) पूंजी पर प्रतिलाभ की दर = 15.50/ (1-0.24) = 20.395 प्रतिशत होगी।

(तीन) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में वास्तविक भुगतान किए गए कर के आधार पर, मय अतिरिक्त कर मांग के, उस पर ब्याज की राशि को जोड़कर पूंजी पर प्रतिलाभ की दर को सत्यापित किया जाएगा जिसे यथोचित तौर पर कर के किसी प्रत्यर्पण हेतु, किसी वित्तीय वर्ष हेतु वास्तविक सकल आय पर, विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक से संबंधित, आयकर विभाग से प्राप्त की गई किसी ब्याज राशि को सम्मिलित करते हुए, समायोजित किया जाएगा। तथापि, किसी शास्ति की राशि, यदि कोई हो, जो किसी जमा की गई राशि के विलंबित भुगतान या निर्धारित कर राशि से कम जमा की गई राशि से उद्भूत हो, का पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा नहीं किया जाएगा। पूंजी पर प्रतिलाभ पर सकलबद्ध दर की कम वसूल की गई या अधिक वसूली की गई राशि को, सत्यापित किए जाने के उपरान्त वर्ष–दर–वर्ष आधार पर दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं से राशि की वसूली या प्रत्यर्पण किया जाएगा।

25. ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार :

(25.1) विनियम 22 में दर्शाई गई रीति के अनुसार प्राप्त किये गये ऋण, ऋण पर ब्याज की सकल मानदण्डीय ऋण की गणना किये गये माने जाएंगे।

(25.2) दिनांक 1.4.2019 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2019 तक सकल मानदण्डीय ऋण में से संचित अदायगी को घटाकर की जाएगी।

(25.3) विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक के प्रत्येक वर्ष हेतु अदायगी को संबंधित वर्ष/अवधि हेतु अनुज्ञात किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा। परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण से संबन्धित मामले में, अदायगी का समायोजन संचित अदायगी द्वारा आनुपातिक आधार पर किया जाएगा तथा यह समायोजित राशि ऐसी परिसम्पत्ति के बारे में अपूंजीकरण तिथि तक वसूल की गई संचित अवमूल्यन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(25.4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भले ही किसी भी ऋण–स्थान अवधि (मोरेटोरियम) का लाभ लिया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वार्षिक अनुज्ञात किये गये अवमूल्यन के समतुल्य होगा।

(25.5) ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर के बराबर होगी, जिसकी गणना समुचित लेखांकन समायोजन अथवा पूंजीकृत ब्याज के प्रावधान उपरान्त वास्तविक ऋण की श्रेणी के आधार पर की जाएगी :

परन्तु यह कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष में कोई वास्तविक ऋण न हो परन्तु मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर ही मानी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि पारेषण प्रणाली के विरूद्ध वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की समग्र रूप से भारित औसत ब्याज दर ही मानी जाएगी।

(25.6) ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत ऋण पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी।

(25.7) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु समस्त प्रयास करेगा जब तक यह ब्याज पर सकल लाभ में परिणत न हो जाए तथा ऐसी दशा में ऐसी पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु संबद्ध लागतों को हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की गई सकल बचत राशि को हितग्राहियों तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य 50 : 50 के अनुपात में वितरित कर दिया जाएगा।

(25.8) ऋणों के निबंधन तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार की गई पुनर्वित्त व्यवस्था की तिथि से दर्शाया जाएगा।

(25.9) किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार यथासंशोधित मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम, 2004 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु पारेषण क्रेताओं द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज के कारण किसी प्रकार के भुगतान को ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था से उद्भूत किसी विवाद के प्रतितोषण की प्रत्याशा में रोका नहीं जाएगा।

26. अवमूल्यन

(26.1) विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन की गणना निम्न रीति के अनुसार की जाएगीः

(क) अवमूल्यन या अवक्षयण की गणना किसी पारेषण प्रणाली, उसकी संचार प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व के बारे में उसकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से की जाएगी। किसी पारेषण प्रणाली में, उसकी संचार प्रणाली को शामिल करते हुए, विद्युत्–दर (टैरिफ) के प्रकरण में, जिनके लिए एकल विद्युत्–दर अवधारण किया जाना आवश्यक हो, वहां अवमूल्यन की गणना पारेषण प्रणाली की प्रभावी प्रचालन

तिथि से, वैयक्तिक इकाईयों अथवा तत्वों के अवमूल्यन पर विचार करते हुए की जाएगी :

परन्तु यह कि वाणिज्यिक प्रचालन की प्रभावी तिथि की गणना पारेषण प्रणाली के समस्त तत्वों के बारे में जिनकी एकल विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारित किया जाना अपेक्षित हो, कार्यवाही वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तथा स्थापित क्षमता अथवा पारेषण प्रणाली के समस्त तत्वों की पूंजीगत लागत पर विचार करते हुए की जाएगी।

(ख) अवमूल्यन की गणना के प्रयोजन हेतु मूल्य आधार, आयोग द्वारा स्वीकृत परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत होगा। पारेषण प्रणाली के बहुविध तत्वों के प्रकरण में, पारेषण प्रणाली के भारित औसत जीवनकाल का अनुप्रयोग किया जाएगा। अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही आदेय होगा। परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रकरण में, वर्ष के किसी भाग हेतु, अवमूल्यन को *आनुपातिक आधार* पर प्रभारित किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा का निधीयन (फंडिंग) सम्मिलित किया जाएगा जिसे वास्तविक तिथि को प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर प्रचलित विनिमय दर पर समतुल्य रूपयों में परिवर्तित किया जाएगा।

(घ) परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा अवमूल्यन को परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुज्ञात किया जाएगा।

परन्तु यह कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उपकरण तथा सॉफ्टवेयर का उपादेय मूल्य शून्य माना जाएगा तथा परिसम्पत्तियां के शत प्रतिशत मूल्य को अवमूल्यनयोग्य माना जाएगा :

परन्तु यह और कि पारेषण प्रणाली की निम्नतर उपलब्धता के कारण अस्वीकार किये गये किसी अवमूल्यन को बाद में उसके उपयोगी जीवनकाल अथवा विस्तारित जीवनकाल के दौरान किसी प्रक्रम पर वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(ङ) पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को अवमूल्यनयोग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यनयोग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(च) अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष 'सरल रेखा विधि' के आधार पर तथा पारेषण प्रणाली की परिसम्पत्तियों हेतु इन विनियमों के **परिशिष्ट–1** में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी:

परन्तु यह कि वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत न्यायसंगत ढंग से प्रसारित कर दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि परिसम्पत्ति के सृजन हेतु उपभोक्ता का अंशदान अथवा पूंजीगत सहायतानुदान/अनुदान आदि को लेखांकन नियम, जो समय–समय पर अधिसूचित कर लागू किये जाएंगे, के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

(छ) विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, दिनांक 1.4.2019 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2019 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यनयोग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचित अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को **परिशिष्ट–1** में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा।

(ज) अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से आदेय होगा। परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष को किसी अंश हेतु अवमूल्यन को *आनुपातिक आधार* पर प्रभारित किया जाएगा।

(झ) पारेषण प्रणाली अथवा इसके किसी तत्व के बारे में संबंधित परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण के मामले में संचित अवमूल्यन को उसकी उपयोगी सेवाओं के दौरान अपूंजीकृत परिसम्पत्ति द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) में वसूल किये गये अवमूल्यन को ध्यान में रखकर समायोजित किया जाएगा।

27. पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार :

(27.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पटटे (लीज) पर ली गई परिसम्पत्तियों पर पटटा प्रभार पटटा संबंधी अनुबंध के अनुसार माने जाएंगे बशर्ते आयोग द्वारा इन प्रभारों को युक्तियुक्त माना गया हो।

28. प्रचालन एवं संधारण व्यय :

(28.1) विद्युत् दर (टैरिफ) अवधि हेतु प्रचालन तथा संधारण व्ययों का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों के आधार पर किया जाएगा।

(28.2) कर्मचारी व्ययों, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों और प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों से संबंधित लागत घटकों पर इन विनियमों के विनियम 38.1 के अनुसार विचार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु आंकड़ों की प्राप्ति हेतु म0प्र0वि0नि0आ0 (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु प्रदत्त संचालन एवं संधारण व्यय के आंकड़ों में 3.51 प्रतिशत वृद्धि कारक के अनुसार बढ़ोतरी की जाएगी ।

(28.3) अनुवर्ती वर्षों के लिए प्रचालन एवं संधारण व्ययों का अवधारण आधार वर्ष, अर्थात वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु व्ययों में वृद्धि द्वारा, वृद्धि कारक 3.51 प्रतिशत की दर से जैसा कि इसे केन्द्रीय आयोग द्वारा अपने टैरिफ विनियम, वर्ष 2019 हेतु, तत्संबंधी वित्तीय वर्षों हेतु माना गया है, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु अनुज्ञेय प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना हेतु किया जाएगा।

(28.4) उपरोक्त प्रचालन तथा संधारण व्ययों के अन्तर्गत विचार किये गये कर्मचारी व्यय में पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाएं शामिल नहीं हैं। आयोग द्वारा मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012(जी–38, वर्ष 2012) 20 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित किये गये हैं। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के संबंध में व्यय उपरोक्त विनियमों के उपबंधों के अनुसार स्वीकार किये जाएंगे। पारेषण प्रणाली हेतु सुरक्षा व्यय पृथक से युक्तियुक्त परीक्षण उपरान्त अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(28.5) युद्ध, विद्रोह अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण संचालन तथा संधारण व्यय में अभिवृद्धि के संबंध में, जहां आयोग का यह अभिमत हो कि उक्त वृद्धि न्यायोचित है, पर आयोग इसे किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु लागू करने पर विचार कर सकेगा।

(28.6) पारेषण कम्पनी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित की गई कतिपय बचत को उसे स्वयं के पास धारित रखे जाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। किसी वर्ष में लक्ष्य संचालन व संधारण व्ययों से आधिक्य के कारण होने वाली हानि को पारेषण कम्पनी को वहन करना होगा।

29. कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार :

(29.1) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर मानदण्डीय आधार पर होगी तथा इसे 1.4.2019 की स्थिति में बैंक दर अथवा विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 के दौरान उक्त वर्ष की प्रथम अप्रैल को, जिसके दौरान पारेषण प्रणाली, संचार प्रणाली अथवा

उसके किसी तत्व को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया जाए, इनमें से जो भी बाद में घटित हो, माना जाएगा।

(29.2) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानदण्डीय आधार पर ही देय होगा, भले ही पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी बाह्य अभिकरण (एजेन्सी) से कार्यकारी पूंजी हेतु ऋण प्राप्त न भी किया गया हो।

30. विदेशी विनिमय दर परिवर्तन :

(30.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विदेशी विनिमय की अनावृत्ति को पारेषण प्रणाली हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज तथा विदेशी ऋण की अदायगी के संबंध में समायोजन आंशिक अथवा पूर्ण रुप से जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की स्वेच्छानुसार होगा, कर सकेगा।

(30.2) प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, मानदण्डीय विदेशी ऋण से तत्संबंधी विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से संरक्षण की लागत की वसूली, सुसंगत वर्ष में, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर, उक्त अवधि के दौरान जब कि यह व्यय के रुप में उद्भूत हो, करेगा तथा इस प्रकार के विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से तत्संबंधी अतिरिक्त रुपयों के भुगतान के दायित्व को, समायोजन किये गये विदेशी ऋण के विरुद्ध अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(30.3) उक्त सीमा, जहां तक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विदेशी विनिमय अनावृत्ति का समायोजन करने में असमर्थ हो, अतिरिक्त रुपयों में भुगतान के दायित्व हेतु ब्याज का भुगतान तथा ऋण की अदायगी जो मानदण्डीय विदेशी मुद्रा ऋण के सुसंगत वर्ष से तत्संबंधी हो, को अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके सामग्री प्रदायकर्ता अथवा ठेकेदार इसके लिये उत्तरदायी न हों।

(30.4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समायोजन संबंधी लागत तथा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को आय या व्यय के रूप में उक्त अवधि के दौरान, जब वह उद्भूत हो, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर वसूल करेगा।

31. आय पर कर :

(31.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण क्रेताओं से आय–प्रवाहों पर कर की वसूली पृथक से नहीं की जाएगी।

32. विद्युत–दर (टैरिफ) आय :

(32.1) आयोग द्वारा विद्युत् के पारेषण हेतु अवधारित समस्त प्रभारों से प्राप्त आय को विद्युत–दर (टैरिफ) आय माना जाएगा। विद्युत–दर (टैरिफ) आय में पारेषण प्रभार, प्रतिक्रिया

(रिएक्टिव) ऊर्जा प्रभार एवं अन्य प्रभार जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, सम्मिलित होंगे।

33. गैर विद्युत–दर (टैरिफ) आय :

(33.1) मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा गैर दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, (समय–समय पर यथासंशोधित) के अन्तर्गत अन्य आय संबंधी अनुसूची, जैसा कि इसका प्रावधान विविध प्रभारों तथा सामान्य प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, को 'गैर विद्युत–दर (टैरिफ) आय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। गैर विद्युत–दर (टैरिफ) आय में पूंजी–निवेशों, सावधि जमा राशियों तथा अन्य जमा राशियों से प्राप्त आय एवं अन्य किसी गैर विद्युत–दर (टैरिफ) आय को सम्मिलित किया जाएगा।

(33.2) अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को अधिनियम की धारा 41 में विनिर्दिष्ट उक्त सीमा तक, जिसे आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाए, आय माना जाएगा।

34. विलंब भुगतान अधिभार :

(34.1) ऐसे मामलों में, जहां पारेषण तथा अन्य प्रभारों से संबंधित देयकों के भुगतान में, देयकों की प्रस्तुति तिथि से 45 दिवस से अधिक अवधि का विलंब किया जाता हो, वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी भुगतान के प्रति दिवस विलंब हेतु 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलंब भुगतान अधिभार अधिरोपित कर सकेगा।

35. छूट :

(35.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान साखपत्र (लैटर ऑफ केडिट) या राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अन्तरण (NEFT)/क्षेत्रीय लेन–देन सकल व्यवस्थापन (RGTS) के माध्यम से बिल प्रस्तुति के दो दिवस के भीतर किए जाने पर कम्पनी द्वारा 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयकों की प्रस्तुति के एक माह के भीतर किसी अन्य विधि द्वारा भुगतान किये जाने पर एक प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

36. व्यवसाय योजना तथा पूंजी निवेश :

(36.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार भार अभिवृद्धि, पारेषण हानियों में कमी, विद्युत् प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मापन व्यवस्था (मीटरिंग) आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्त–प्रबन्धन योजना तथा भौतिक लक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(36.2) प्रमुख योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाएं, जिनका कार्य आगामी विचाराधीन वर्ष में भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो टैरिफ अवधि के दौरान प्रारंभ की जाएंगी तथा जो टैरिफ अवधि के दौरान अथवा उसके उपरांत पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जाएंगी। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों से दीर्घ–अवधि के अनुबंधों का निष्पादन करेगा जिनके लिए प्रस्तावित मुख्य कार्य (योजनाएं) अन्तर्संयोजनों से ऊपरी तथा निचले क्षेत्रों में पूर्ण लाभ पहुंचाएंगे। ऐसी विशिष्ट योजनाएं आयोग के अनुमोदनार्थ केवल हितग्राहियों से अनुबंधों के निष्पादन पश्चात ही प्रस्तुत की जाएंगी। यह सुविधा केवल ऐसे दीर्घ–अवधि हितग्राहियों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उपलब्ध कराई जाएगी जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण क्षमता के उपयोग हेतु दीर्घ–अवधि अनुबंधों का निष्पादन करेंगे।

(36.3) आयोग अनुज्ञप्तिधारी की पूंजी निवेश योजना पर विचार कर उसे अनुमोदन प्रदान करेगा जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को सुसंगत तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। टैरिफ आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को आयोग से पूंजी निवेश योजना का अनुमोदन कराना होगा।

(36.4) अनुमोदित पूंजी निवेश हेतु ऋण तथा पूंजी का अनुपात विनियम 22 के उपबंधों के अनुरूप होगा।

अध्याय – छः

पारेषण प्रणालियां

37. प्रचालन मानदण्ड :

(37.1) मानदण्डीय वार्षिक पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक (NATSAF) : सम्पूर्ण पारेषण प्रभारों की वसूली हेतु यह कारक निम्नानुसार होगाः

एसी प्रणाली हेतु : 98.0 प्रतिशत

उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा (एचवीडीसी) द्वि–ध्रुव संयोजन (बाई–पोललिंक्स) तथा उच्च वोल्टेज द्विष्टधारा पृष्ठासन्न (बैक–टू–बैक) केन्द्र : 97.5 प्रतिशत

(37.2) प्रोत्साहन के विचारार्थ :

ए.सी प्रणाली हेतु : 98.5 प्रतिशत

परन्तु यह कि 99.75 प्रतिशत के पार उपलब्धता के लिये प्रोत्साहन का भुगतान देय नहीं होगा।

(37.3) विद्युत् उपकेन्द्र में सहायक ऊर्जा खपत :

एसी प्रणाली :

वातानुकूलन, प्रकाश व्यवस्था, तकनीकी खपत तथा उपकरणों में विद्युत की खपत के प्रयोजन हेतु एसी (AC) विद्युत उपकेन्द्र में सहायक विद्युत खपत के प्रभारों को पारेषण हानियों का भाग माना जाएगा।

38. प्रचालन तथा संधारण व्यय :

(38.1) प्रचालन तथा संधारण व्ययों में कर्मचारी व्यय, मरम्मत एवं संधारण व्यय और प्रशासनिक तथा सामान्य लागत शामिल होंगे। प्रचालन तथा संधारण व्ययों के मानदण्ड पारेषण लाईनों के सर्किट किलोमीटर तथा उपकेन्द्र पर 'बे' की संख्या के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। इन मानदण्डों में पेंशन, कर्मियों को देय सेवान्त प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को भुगतान योग्य प्रोत्साहन तथा बकाया राशि, शासन को देय कर तथा म.प्र. विद्युत् नियामक आयोग को देय शुल्क शामिल नहीं हैं। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी शासन को देय करों की राशि तथा म.प्र. विद्युत् नियामक आयोग को भुगतान किये जाने वाले शुल्क तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि का दावा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पृथक् से करेगा। यदि इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार निर्धारित प्रचालन तथा संधारण व्यय, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक लेखे में अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक प्रचालन एवं संधारण व्यय तथा यथास्थिति बकाया राशि (एरियर) से अधिक हों तो मानदण्डों के अनुसार निर्धारित प्रचालन एवं संधारण व्यय ही मान्य होंगे । पेंशन तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं का

दावा विनियम 28.4 के अनुसार किया जाएगा । पारेषण प्रणाली हेतु सुरक्षा व्यय पृथक से युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त अनुज्ञेय किए जाएंगे :

परन्तु यह कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा आवश्यकता तथा अनुमानित सुरक्षा व्ययों का आंकलन सत्यापन के समय, समुचित औचित्य के साथ युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के बाद प्रस्तुत करेगा ।

प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड प्रति 100 सर्किट–किलोमीटर एवं प्रति 'बे' निम्नानुसार होंगे:

प्रचालन एवं संधारण व्ययों के मानदण्ड प्रति 100 सर्किट किलोमीटर एवं प्रति 'बे' :

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24
	तन्तुपथ (Lines)	**रूपये लाख/100 सर्किट किलामीटर/वर्ष**				
1	400 केवी तन्तुपथ	35.92	37.18	38.48	39.83	41.23
2	220 केवी तन्तुपथ	33.54	34.71	35.93	37.19	38.50
3	132 केवी तन्तुपथ	35.30	36.54	37.82	39.15	40.52
	बे (Bays)	**रूपये लाख/बे/वर्ष**				
1	400 केवी बे	10.75	11.13	11.52	11.93	12.35
2	220 केवी बे	12.48	12.92	13.38	13.84	14.33
3	132 केवी बे	12.52	12.96	13.89	13.89	14.38

(38.2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु कुल अनुज्ञेय प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना वर्ष हेतु 'बे' की औसत संख्या तथा लाईन की 100 सर्किट किलोमीटर लंबाई क्रमशः संचालन एवं संधारण व्यय प्रति बे तथा प्रति 100 सर्किट–किलोमीटर के गुणनफल से प्राप्त की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के समक्ष टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, यथास्थिति, अनुज्ञेय–योग्य प्रचालन तथा संधारण व्ययों के दावे के समर्थन में, वास्तविक अथवा प्रक्षेपित लाईनों की लंबाई के सर्किट किलोमीटरों का विवरण तथा प्रत्येक वोल्टेज स्तर हेतु 'बे' की संख्या पृथक्–पृथक् प्रस्तुत करेगा।

(38.3) सेवान्त प्रसुविधाओं का भुगतान विनियम 28.4 में किये गये प्रावधान अनुसार किया जाएगा।

39. कार्यकारी पूंजी :

(39.1) विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित मदें शामिल होंगी :

(1) संधारण कलपुर्जों (स्पेअर्स) पर, प्रचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से जैसा कि विनियम 38.1 में निर्दिष्ट किया गया है;

(2) लक्ष्य उपलब्धि स्तर के आधार पर की गई गणनानुसार पारेषण प्रभारों के पैंतालीस दिवस के बराबर प्राप्तियोग्य सामग्रियों की लागत; तथा

(3) प्रचालन एवं संधारण व्यय, एक माह हेतु।

40. वार्षिक पारेषण प्रभार :

(40.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कुल वार्षिक व्ययों तथा पूंजी (इक्विटी) पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की गणना विनियम 19 से 31 सहपठित विनियम 37 से 39 के अनुसार अनुज्ञेय व्ययों एवं प्रतिलाभ के आधार पर की जाएगी।

(40.2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उसके वार्षिक पारेषण प्रभारों की वसूली हितग्राहियों से विनियम 41 तथा 42 द्वारा विनिर्दिष्ट की गई रीति में किये जाने बाबत प्राधिकृत होगा।

41. स्थाई प्रभारों की वसूली :

(41.1) पारेषण प्रणाली की स्थाई लागत की गणना वार्षिक आधार पर इन विनियमों में अन्तर्विष्ट मानदण्डों के अनुसार इन्हें समुचित रूप से जोड़कर की जाएगी तथा उपयोगकर्ताओं से इसकी वसूली पारेषण प्रभार के रूप में मासिक आधार पर की जाएगी जिनके मध्य विनियम में विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार, इन प्रभारों का परस्पर बंटवारा किया जाएगा।

(41.2) पारेषण प्रणाली या उसके किसी अंश हेतु किसी कलेण्डर माह के लिये देय पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) की गणना प्रत्येक क्षेत्र हेतु एसी तथा डीसी प्रणाली हेतु पृथक–पृथक निम्नानुसार की जाएगी

एसी प्रणाली हेतु :

क) TAFM $n \leq$ 98.00% हेतु

AFC x (NDM*n*/NDY) x (TAFM*n*/98.00%)

ख) TAFM*n*: 98.00%< TAFM*n*< 98.50% हेतु

AFC x (NDM*n*/NDY) x (1)

ग) TAFM*n*: 98.50%< TAFM*n*$\leq$ 99.75% हेतु

AFC x (NDM*n*/NDY) x (TAFM/98.50%)

घ) TAFM$n \geq$ 99.75% हेतु

AFC x (NDMn/NDY) x (99.75%/98.50%)

जहां

AFC – वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत (रूपये में)

NDM_n – $_n$वें माह में दिवस संख्या

NDY – वर्ष में दिवस संख्या

$TAFM_n$ – $_n$वें माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, प्रतिशत में जिसकी गणना परिशिष्ट दो के अनुसार की जाएगी

उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा (एचवीडीसी) द्विध्रुव संयोजन तथा उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्रों हेतु :

$TC_1 = AFC \times (NDM_1 / NDY) \times (TAFM_1/NATAF)$

$TC_2 = AFC \times (NDM_2 / NDY) \times (TAFM_2/NATAF) - TC_1$

$TC_3 = AFC \times (NDM_3 / NDY) \times (TAFM_3/NATAF) - (TC_1+TC_2)$

$TC_4 = AFC \times (NDM_4 / NDY) \times (TAFM_4/NATAF) - (TC_1+TC_2+TC_3)$

....

$TC_{11} = AFC \times (NDM_{11}/NDY) \times (TAFM_{11}/NATAF) - (TC_1+TC_2+....+TC_{10})$

$TC_{12} = AFC \times (TAFY/NATAF) - (TC_1+TC_2+....+TC_{11})$;

यदि,

(i) TAFM: 95.00%< TAFM < 97.50% हो, तो TAFM=NATAF होगा;

(ii) TAFM: 97.50%$\leq$ TAFM $\leq$ 99.75% हो, तो NATAF=97.50%; होगा; तथा

(iii) TAFM $\geq$ 99.75%, हो, तो TAFM=99.75% तथा NATAF= 97.50% होगा ।

जहां

TCn = nवें माह तक पारेषण प्रभार, प्रोत्साहन को शामिल करते हुए

AFC = वर्ष हेतु वार्षिक स्थाई लागत, रूपये में

NATAF = मानदण्डीय वार्षिक पारेषण उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

NDMn=वित्तीय वर्ष के n वें माह के अन्त तक कुल दिवस संख्या

NDY = वर्ष में दिवस संख्या

TAFMn= nवें माह के अन्त तक पारेषण उपलब्धता कारक, प्रतिशत में जिसकी गणना परिशिष्ट दो के अनुसार की जाएगी

TAFY = वर्ष हेतु पारेषण उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

42. हितग्राहियों द्वारा पारेषण प्रभार (टीएससी) भुगतानों में हिस्सेदारी तथा तत्संबंधी भुगतान:

(42.1) यदि किसी पारेषण प्रणाली का सृजन किसी विशिष्ट दीर्घ–अवधि पारेषण हितग्राही हेतु, जिसमें किसी विद्युत् उत्पादन केन्द्र हेतु समर्पित पारेषण तन्तुपथ भी शामिल है/हैं, किया गया हो तो ऐसी पारेषण प्रणाली हेतु पारेषण प्रभारों का भुगतान उक्त दीर्घ–अवधि पारेषण हितग्राही द्वारा किया जाएगा।

(42.2) किसी राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली हेतु, मासिक पारेषण प्रभारों को दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं द्वारा हिस्सेदारी हेतु निम्न सूत्र के अनुसार समेकित किया जाएगा :

किसी राज्यान्तरिक प्रणाली के अन्तर्गत एक माह हेतु उक्त पारेषण प्रणाली के लिये किसी दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेता द्वारा भुगतानयोग्य पारेषण प्रभार

= (AFC x NDM/NDY) x CL/SCL

जहां

AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत (रूपये में),

NDM = एक माह में दिवस संख्या,

NDY = एक वर्ष में दिवस संख्या,

CL = दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेता को आवंटित पारेषण क्षमता,

SCL = राज्य पारेषण प्रणाली के समस्त दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं को आवंटित पारेषण क्षमताओं का योग।

(42.3) राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के मध्यम–अवधि उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रभार का भुगतान उक्त मेगावाट के अनुपात में किया जाएगा जिस हेतु, राज्य पारेषण इकाई द्वारा उक्त माह हेतु मध्यम–अवधि उपयोग को अनुमोदित किया गया हो।

(42.4) लघु–अवधि हितग्राही प्रभारों का भुगतान यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 के अनुसार कर सकेंगे।

(42.5) किसी संयंत्र क्षमता से संबद्ध पारेषण प्रभार, जिस हेतु हितग्राही को चिन्हांकित तथा संविदाकृत न किया गया हो, का भुगतान संबंधित विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

(42.6) राष्ट्रीय विद्युत् नीति की धारा 5.8.10 में पारेषण तथा वितरण हानियों को कम किये संबंधी प्रयासों का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने विद्युत् वितरण कम्पनियों के लिये वितरण हानि का प्रक्षेप–वक्र निर्दिष्ट किया है। आयोग द्वारा जारी वितरण विद्युत्–दर संबंधी विनियमों में वितरण हानि स्तर का प्रक्षेप–वक्र निर्दिष्ट किया गया था। यद्यपि म.प्र. शासन ने पारेषण हानि के संबंध में प्रक्षेप–वक्र निर्दिष्ट नहीं किया है, तथापि आयोग एतद् द्वारा पूर्व वर्षों की वास्तविक पारेषण हानियों पर आधारित निम्न प्रक्षेप–वक्र निर्दिष्ट करता है ताकि मापदण्डों तथा टैरिफ संबंधी विषयों पर संदर्भ उपलब्ध रहे :

लक्ष्यबद्ध पारेषण हानियां (प्रतिशत में)

वित्तीय वर्ष	2019–20	2020–21	2021–20232	2022–23	2023–2024
प्रतिशत	2.80%	2.79%	2.78%	2.77%	2.76%

अध्याय–सात

विविध

43. अनुमोदित स्वच्छ विकास कार्यविधि से प्राप्त कार्बन आकलन प्राप्तियों का परस्पर बंटवारा निम्न रीति द्वारा किया जाएगा, अर्थात् :

(क) स्वच्छ विकास कार्यविधि के कारण सकल प्राप्तियों की शत प्रतिशत राशि परियोजना के विकासकर्ता द्वारा पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के प्रथम वर्ष में स्वयं के पास रखी जाएगी।

(ख) द्वितीय वर्ष में, हितग्राहियों का अंशदान 10 प्रतिशत होगा, जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की जाएगी, जिसे 50 प्रतिशत तक पहुंचने के उपरान्त, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा हितग्राहियों द्वारा प्राप्तियों का समान अनुपात में बंटवारा किया जाएगा।

44. **मानदण्डों से विचलन :**

(44.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण प्रभारों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से विचलन किये जाने पर निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुए किया जा सकेगा :

(क) परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत, समतुल्य विद्युत्–दर (टैरिफ) जिसकी गणना केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित छूट कारक पर आधारित मानदण्डों से विचलन के आधार पर अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु की गई हो, बशर्ते यह इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार की गई गणना से अधिक न हो।

(ख) कोई भी विचलन केवल आयोग के अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावशील होगा जिस हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागू विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु एक आवेदन–पत्र टैरिफ याचिका/वार्षिक राजस्व आवश्यकता दायर करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

45. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :**

(45.1) यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को कियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसा कर सकेगा, उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकेगा अथवा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा कार्य करने अथवा उत्तरदायित्व के

निर्वहन हेतुनिर्देशित कर सकेगा जो आयोग की राय में कठिनाईयां दूर करने के प्रयोजन से आवश्यक अथवावांछनीय है।

46. संशोधन करने की शक्तिः

(46.1) आयोग किसी भी समय इन विनियमों के उपबन्धों को उनमें कुछ भी जोड़ने, बदलने, परिवर्तनकरने, सुधारने अथवा संशोधन करने संबंधी अभिक्रिया कर सकेगा।

47. निरसन तथा व्यावृत्तिः

(47.1) विनियम अर्थात्: "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधनतथा शर्तें) (पुनरीक्षण तृतीय) विनियम, 2016 {आरजी–28(III), वर्ष 2016}" क्रमांक3356/मप्रविनिआ/2016 दिनांक 13.01.2016 जो राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 15. 01.2016द्वारा समस्त संशोधनों के साथ सहपठित है जैसा कि यह विनियमों की विषयवस्तु के साथप्रयोज्य है, कोएतद्द्वारा निरस्त किया जाता हैं।

(47.2) इस विनियमों में की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अन्तर्निहितशक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवाआयोग की प्रक्रिया का दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

(47.3) इन विनियमों में कोई भी बात आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपतामें मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगी, जो, तथापि इनविनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेषपरिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से आवश्यक यासमीचीन समझता हो।

(47.4) इन विनियमों में कोई भी बात स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियमके अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा,जिसके लिये कोई संहिता निर्मित न की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसीरीति में, ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्योंका पालनकर सकेगा जो कि वह उचित समझे।

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, सचिव.

परिशिष्ट–1

अवमूल्यन अनुसूची

सरल क्रमांक	परिसंपत्ति की विशिष्टताएं	अवमूल्यन दर (उपादेय मूल्य =10%) सरल रेखा विधि
अ	पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि	0.00%
ब	पट्टे के अंतर्गत भूमि	
(क)	भूमि में निवेश हेतु	3.34%
(ख)	स्थल की सफाई की लागत हेतु	3.34%
स	नवीन क्रय की गई परिसंपत्तियां	
(क)	निम्न हेतु भवन तथा सिविल अभियांत्रिकी कार्य	
(i)	कार्यालय एवं शोरूम	3.34%
(ii)	अस्थाई संरचनाएं, जैसे कि काष्ठ संरचनाएं	100.00%
(iii)	कच्चे मार्गों को छोड़कर, अन्य मार्ग	3.34%
(iv)	अन्य	3.34%
(ख)	ट्रांसफार्मर, गुमटियां उपकेन्द्र उपकरण तथा अन्य स्थाई उपकरण (संयंत्र सम्मिलित कर)	
(i)	ट्रांसफार्मर, नींव को सम्मिलित करते हुए जिसका मूल्यांकन (रेटिंग) 100 केवीए तथा इससे अधिक है	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
(ग)	स्विचगिअर, केबल कनेक्शन सम्मिलित करते हुए	5.28%
(घ)	तड़ित चालक	
(i)	स्टेशन प्रकार का	5.28%
(ii)	खंभा प्रकार का	5.28%
(ड)	सिन्क्रोनस कन्डेंसर	5.28%
(च)	बैट्रियां	5.28%
(i)	भूमिगत केबल, जाईंट बॉक्स तथा डिसकनेक्टेड बॉक्स सम्मिलित कर	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	5.28%
(छ)	फेब्रीकेटेड इस्पात पर शिरोपरि तन्तुपथ, जो 66 केवी तक तथा इससे अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित किया गया हो ।	5.28%

(ज)	मापयंत्र (मीटर)	**5.28%**
(झ)	स्वचालित वाहन	**9.50%**
जे	वातानुकूलन संयंत्र	
(i)	स्थैतिक (स्टैटिक)	**5.28%**
(ii)	वहनीय (पोर्टेबल)	**9.50%**
(ट) (i)	कार्यालय फर्नीचर तथा फर्निशिंग	**6.33%**
(ट) (ii)	कार्यालय उपकरण	**6.33%**
(ट) (iii)	आन्तरिक वायरिंग, फिटिंग तथा उपकरण सम्मिलित कर	**6.33%**
(ट)(iv)	पथ–प्रकाश जुड़ना (फिटिंग)	**5.28%**
(ठ)	भाड़े पर प्रदान किये गये उपकरण	
(i)	मोटरों को छोड़कर	**9.50%**
(ii)	मोटरें	**6.33%**
(ड)	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो तथा उच्च संवाहक प्रणाली	**6.33%**
(ii)	दूरभाष लाईनें तथा दूरभाष	**6.33%**
(ढ)	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण	**15.00%**
(ण)	अन्य परिसम्पत्तियां जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हैं	**5.28%**

परिशिष्ट–दो

एक माह के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक की गणना की प्रक्रिया

(Procedure for Calculation of Transmission System Availability Factor for a Month)

1. nवें कलेण्डर माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक अर्थात 'Transmission System Availability Factor for n^{th} Calendar Month ($TAFp_n$) अथवा 'टीएएफपीएन' की गणना तत्संबंधी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (Transmission Licensee) द्वारा की जाएगी तथा इसे संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (Regional Load Dispatch Centre) से पृथक–पृथक प्रत्येक प्रत्यावर्ती धारा (Alternating Current-AC) 'एसी' तथा उच्च वोल्टेज दिष्टधारा (High Voltage Direct Current- HVDC) यथा 'एचवीडीसी पारेषण प्रणाली' हेतु सत्यापित तथा प्रमाणित कराया जाएगा तथा पारेषण प्रभारों के परस्पर हिस्सेदारी (Sharing) द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा (AC) प्रणाली के प्रकरण में पारेषण प्रणाली की उपलब्धता की गणना प्रत्येक क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली (Regional Transmission System) तथा अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली (Inter Regional Transmission System) के लिए की जाएगी। उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा (HVDC) प्रणाली के प्रकरण में, पारेषण प्रणाली उपलब्धता की गणना समस्त अन्तर्राज्यीय 'HVDC' प्रणाली हेतु की जाएगी।

2. nवें कलेण्डर माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक ("TAFp"$_n$) की गणना निम्न पहलुओं पर विचार करते हुए की जाएगी :

(i) **एसी पारेषण तन्तुपथ (AC Transmission Lines)** : एसी पारेषण तन्तुपथ के प्रत्येक परिपथ (Circuit) को एक तत्व (element) माना जाएगा।

(ii) **अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मर (Inter-Connecting Transformers-ICTs)** : प्रत्येक अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मर संकोष (ICT Bank) या आईसीटी बैंक (तीन एकल फेज ट्रांसफार्मरों को एक साथ संयोजित करते हुए) एक तत्व (element) का गठन करेगें।

(iii) **स्थैतिक वार क्षतिपूरक (Static VAR Compensator-SVC)** अथवा 'एसवीसी' : एसवीसी मय एसवीसी ट्रांसफार्मर द्वारा एक तत्व (element) का गठन किया जाएगा।

(iv) **बस रिएक्टर (Bus Reactors)/ अथवा स्विचेबल लाईन रिएक्टर (Switchable line reactors)-** प्रत्येक बस रिएक्टर अथवा स्विचेबल लाईन रिएक्टर को एक तत्व माना जाएगा।

(v) **उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा द्वि–ध्रुवीय संयोजन (HVDC Bi-Pole links)-** एसवीडीसी संयोजन के प्रत्येक ध्रुव (पोल) को दोनों छोरों पर सहायक उपकरण के साथ एक तत्व माना जाएगा।

(vi) **उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र (HVDC back to back station) :** उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र के प्रत्येक खण्ड को एक तत्व माना जाएगा। यदि संबद्ध एसी तन्तुपथ (AC line) (जो उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र के माध्यम से अन्तर्क्षेत्रीय विद्युत् के अन्तरण के लिए आवश्यक है) उपलब्ध न हो तो उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र पृष्ठांसन्न खण्ड को भी अनुपलब्ध माना जाएगा।

(vii) **स्थैतिक समकालिक क्षतिपूर्ति (स्टैटकॉम)** : प्रत्येक स्टैटकॉम (SATCOM) को पृथक तत्व माना जाएगा।

3. पारेषण प्रणाली की प्रत्यावर्ती धारा (एसी) तथा उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा (एचवीडीसी) भाग की गणना पारेषण तथ्यों की प्रत्येक श्रेणी पर विचार करते हुए निम्नानुसार की जाएगी :

एसी प्रणाली हेतु टीएएफएमएन प्रतिशत {TAFMn (in %)}

$$= \frac{o \times AVo)+(p \times AVp) + (q \times AVq) + (r \times AVr)+(u \times AVu)}{(o + p + q + r+u)} \times 100$$

जहां

o = एसी तन्तुपथों की कुल संख्या

AVo = एसी तन्तुपथों (AC lines) की 'o' संख्या की उपलब्धता

p = बस रिएक्टरों/स्विचेबल लाईन रिएक्टरो की कुल संख्या

AVp = बस रिएक्टरों/स्विचेबल लाईन रिएक्टरो की 'p' संख्या की उपलब्धता

q = अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मरों (ICTs) की कुल संख्या

AVq = अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मरों (ICTs) की 'q' संख्या की उपलब्धता

r = स्थैतिक वार क्षतिपूरकों (SVCs) की कुल संख्या

AVr = स्थैतिक वार क्षतिपूरकों की 'r' संख्या की उपलब्धता

u = स्टैटकॉम की कुल संख्या

AVu ='u' संख्या में स्टैटकॉम की उपलब्धता

एचवीडीसी प्रणाली हेतु प्रतिशत टीएएफएम$_{एन}$ {TAFMn(in%) For HVDC System} :

$$= \frac{\sum_{x=1}^{s} Cxbp(act)\ X\ AVxbp + \sum_{y=1}^{t} Cy(act)btb\ X\ AVybtb}{\sum_{x=1}^{s} Cxbp + \sum_{y=1}^{t} Cybtb} \times 100$$

जहां

Cxbp(act)	=	'x' वें HVDC पोल की वास्तविक परिचालन क्षमता
Cxbp	=	'x' वें HVDC पोल की कुल निर्धारित क्षमता
AVxbp	=	'x' वें HVDC पोल की उपलब्धता
Cybtb(act)	=	'y' वें HVDC पृष्ठासन्न केन्द्र खण्ड की कुल संचालित क्षमता
AVybtb	=	'y' वें HVDC पृष्ठासन्न केन्द्र खण्ड की कुल उपलब्धता
S	=	HVDC ध्रुवों (Poles) की कुल संख्या
T	=	HVDC पृष्ठासन्न खण्डों की कुल संख्या

4. पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी की उपलब्धता की गणना भारिता कारक (weightage factor) उक्त अवधि के प्रत्येक तत्व हेतु विचाराधीन कुल घंटों की अवधि तथा अनुपलब्ध घंटों की अवधि के आधार पर की जाएगी।

पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी हेतु गणना के सूत्र परिशिष्ट–तीन के अनुसार होंगे। पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी हेतु भारित कारक (weightage factor) को निम्नानुसार माना जाएगा:

(क) AC तन्तुपथ के प्रत्येक परिपथ (सर्किट) हेतु–परिपथ में उप चालकों (सब कण्डक्टरों) की संख्या तथा सर्किट किमी (ckt-km) का गुणनफल ;

(ख) प्रत्येक HVDC Pole हेतु–निर्धारित मेगावाट क्षमता x सर्किट किमी ;

(ग) प्रत्येक अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मर (ICT) बैंक हेतु–निर्धारित एमवीए क्षमता

(घ) स्थैतिक वार क्षतिपूरक (SVC) हेतु–निर्धारित एमवीएआर क्षमता {प्रेरक (inductive} तथा संधारित्र {(Capacitive)}

(ङ) बस रिएक्टर/स्विचेबल लाईन रिएक्टरों हेतु–निर्धारित एमवीएआर क्षमता ;

(च) दो क्षेत्रीय ग्रिडों को संयोजित करने वाले HVDC पृष्ठासन्न केन्द्र (स्टेशन) हेतु–प्रत्येक खण्ड की निर्धारित मेगावाट क्षमता ; तथा

(छ) स्टेटकॉम (STATCOM) हेतु – कुल निर्धारित एमवीएआर क्षमता।

5. अवरोध (Outage) के अंतर्गत निम्न पारेषण तत्वों को उपलब्ध माना जाएगा।

(i) आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य पारेषण योजना (स्कीम) अथवा नवीन तत्व के निर्माण अथवा विद्यमान प्रणाली में नवीनीकरण/उन्नयन/अतिरिक्त पूंजीकरण के संधारण हेतु प्रणाली बंद किये जाने हेतु प्राप्त की गई सुविधा। यदि अन्य पारेषण योजना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व में हो तो सदस्य–सचिव क्षेत्रीय ऊर्जा समिति (RPC) मानी गयी उपलब्धता अवधि को उक्त समय सीमा के भीतर नियंत्रित कर सकेगा जैसा कि उसके द्वारा सन्निहित कार्य हेतु युक्तिसंगत माना जाए। मानी गई उपलब्धता के बारे में किसी विवाद के प्रकरण में, मामले को अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत अधिकरण को निवारण हेतु 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ii) संबद्ध क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशानुसार किसी पारेषण तन्तुपथ की आधिक्य वोल्टेज को नियंत्रित किये जाने हेतु तथा चालू रिएक्टरों की हस्तचालित व्यवस्था द्वारा विद्युत आपूर्ति को बंद करना।

6 निम्न आकस्मिकताओं के बारे में विचाराधीन अवधि के दौरान, पारेषण तत्वों की अवरोध अवधि को जैसा कि इसे सदस्य सचिव, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति द्वारा प्रमाणित किया जाए, तत्व के कुल समय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा :

(i) दैविक प्रकोप तथा आपदाग्रस्त घटनाओं के कारण तत्वों का अवरोध जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण बाहर परिस्थितियों द्वारा निमित्त हो। तथापि, कथित अवरोध आपदाग्रस्त घटनाओं के कारण है (न कि रूपांकन की विफलता के कारण), का सत्यापन सदस्य सचिव, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति द्वारा किया जाएगा। सदस्य सचिव, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति द्वारा तत्व की युक्तियुक्त पुनर्स्थापना समय के बारे में विचार किया जाएगा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्व की पुनर्स्थापना हेतु युक्तिसंगत समय से अधिक समय को अवरोध समय माना जाएगा तथा इस हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उत्तरदायी माना जाएगा। सदस्य सचिव, क्षेत्रीय ऊर्जा

समिति द्वारा युक्तिसंगत पुनर्स्थापना समय के बारे में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या किसी विशेषज्ञ से परामर्श किया जा सकेगा । आपात पुनर्स्थापना प्रणाली (एमर्जेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम) के माध्यम से पुनर्स्थापित परिपथों (सर्किटों) को उपलब्ध माना जाएगा ;

(ii) किसी ग्रिड की घटना/विक्षोभ (disturbance) के कारण घटित अवरोध, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कारण न हो, उदाहरण के तौर पर अन्य किसी एजेन्सी के स्वामित्व वाले उपकेन्द्र तथा 'बे' में दोष जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के तत्वों में अवरोध उत्पन्न करता हो, ग्रिड में विक्षोभ के कारण तन्तुपथों, अन्तर्संयोजित ट्रांसफार्मरों, उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा (एचवीडीसी) आदि से विद्युत् आपूर्ति बंद होना। तथापि, यदि ग्रिड की घटना/विक्षोभ के उपरांत तत्व की पुनर्स्थापना क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र से निर्देशों की प्राप्ति के उपरांत भी युक्तियुक्त समय में उसे सामान्य स्थिति में लाते समय प्राप्त न हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पुनर्स्थापना हेतु अवरोध अवधि बाबत् जारी किये गये दिशा–निर्देशो के उपरांत तत्व को उपलब्ध न कराया गया माना जाएगा :

परन्तु यह कि विद्युत अवरोध कारण के बारे में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ किसी मतभेद के प्रकरण में, इसे अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तीस दिवस के भीतर निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। उपरोक्त प्रकरण का निराकरण दो माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां अनुशंसा को 60 दिवस के भीतर अन्तिम रूप देने में कठिनाई अथवा विलंब हो वहां संबद्ध क्षेत्रीय भार समिति का सदस्य सचिव प्रकरण के अन्तिम निर्णय होने तक प्रावधिक आधार पर अवरोध घंटों की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

7. **पारेषण प्रणाली उपलब्धता के प्रमाणीकरण हेतु समय सीमा** :

(1) संबंधित क्षेत्रीय ऊर्जा समिति के सदस्य सचिव द्वारा उपलब्धता के प्रमाणीकरण हेतु निम्न कार्यक्रम का अनुसरण किया जाएगा :

- पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र/घटकों को अवरोध आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण – अगले माह की पांचवी तिथि तक ;
- क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अवरोध आंकड़ों की समीक्षा तथा इसे तत्संबंधी क्षेत्रीय ऊर्जा समिति को अग्रेषित करना–माह की बीसवीं तिथि तक; और
- तत्संबंधी क्षेत्रीय ऊर्जा समिति द्वारा उपलब्धता प्रमाण–पत्र जारी करना– अगले माह की तीसरी तिथि तक

परिशिष्ट–तीन

पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी हेतु उपलब्धता की गणना हेतु सूत्र (FORMULA FOR CALCULATION OF AVAILABILITY OF EACH CATEGORY OF TRANSMISSION ELEMENTS)

AV_o (o संख्या में एसी लाइनों की उपलब्धता)

{AV_o (Availability of o no. of AC lines) } = $\frac{\sum_{i=1}^{o} Wi(Ti - TNAi)/Ti}{\sum_{i=1}^{o} Wi}$

AV_q {q संख्या में अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मरों (ICTs) की उपलब्धता}

{AV_q (Availability of q no. of ICTs) = $\frac{\sum_{k=1}^{q} Wk(Tk - TNAk)/Tk}{\sum_{k=1}^{q} Wk}$

AV_r (r संख्या में स्थैतिक वार क्षतिपूरकों की उलपब्धता)

{AV_r (Availability of r no. of SVCs) } = $\frac{\sum_{l=1}^{r} Wl(Tl - TNAl)/Tl}{\sum_{l=1}^{r} Wl}$

AV_p (p संख्या में स्विचयोग्य बस रिएक्टरों की उपलब्धता)

{AV_p (Availability of p no. of Switched Bus reactor} = $\frac{\sum_{m=1}^{p} Wm(Tm - TNAm)/Tm}{\sum_{m=1}^{p} Wm}$

AV_u (u संख्या में स्टेटकॉम की उपलब्धता)

{ Availability of u no. of STATCOMS} = $\frac{\sum_{n=1}^{u} Wn(Tn - TNAn)/Tn}{\sum_{n=1}^{u} Wn}$

AV_{xbp} (एक वैयक्तिक HVDC पोल की उपलब्धता)

{Availability of an indivual HDVC Pole} = $\frac{(Tx - TNAx)}{Tx}$

AV_{btb} (एक वैयक्तिक HVDC पृष्ठासन्न खण्डों की उपलब्धता)

{Availability of an individual HVDC Back-to back Blocks} = $\frac{(Ty - TNAy)}{Ty}$

उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पारेषण प्रणाली हेतु (For HVDC transmission system)

नवीन HVDC क्रियाशील किये गये परन्तु जिनके द्वारा बारह माह की अवधि पूर्ण न की गई हो :

प्रथम बारह माह हेतु : [(AV_{xbp} अथवा AV_{ybtb}) x 95% / 85%] उच्चतम सीमा 95% के अध्यधीन

O = AC लाईनों की संख्या ;

AV_o = O संख्या में AC लाईनों की उपलब्धता ;

p = बस रिएक्टरों/स्विचेबल लाईन रिएक्टर्स की संख्या ;

AV_p = P संख्या में बस रिएक्टरों/स्विचेबल रिएक्टर्स की उपलब्धता ;

q = अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मरों (ICTs) की संख्या ;

AV_q = q संख्या में ICTs की उपलब्धता ;

r = स्थैतिक वार क्षतिपूरकों (SVCs) की संख्या ;

AV_r = r संख्या में SVCs की उपलब्धता ;

AV_u = u संख्या में स्टेटकॉम (Statcoms) की उपलब्धता ;

W_j = j वी पारेषण लाईन का भारिता कारक (weightage factor) ;

W_k = *k* वें अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मर (ICT) का भारिता कारक ;

W_l = *l* वें स्थैतिक वार क्षतिपूरक के प्रेरक (inductive) तथा संधारित्र (capacitive) परिचालन का भारिता कारक ;

W_m = m वें बस रिएक्टर (bus reactor) का भारिता कारक ;

W_n = n वें स्टेटकॉम (Statcom) का भारित कारक ;

T_j, T_k, T_l , T_m, T_n, T_x, T_y - विचाराधीन अवधि के दौरान j वीं AC लाईन, K वें अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मर (ICT), l वें स्थैतिक वार क्षतिपूरक (SVC), m वीं स्विचड बस रिएक्टर (Switched Bus Reactor), n वें स्टेटकॉम (Statcom), x वें एचवीडीसी पोल (HVDC pole), *y* वें HVDC पृष्ठासन्न खण्डों की समयावधि घंटों में (अवरोध जिस हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी नहीं है, से संबंधित समयावधि को छोड़कर जिन हेतु कारण प्रक्रिया के पैरा 5 में दर्शाये गये हैं।

T_{Nai}, T_{NAk}, T_{Nal}, T_{NAm}, T_{NAn}, T_{NAx}, T_{NAy} - i वी एसी लाईन, j वें उच्चदाब दिष्ट धारा पोल (HVDC pole), *k* वें अन्तः संबद्ध ट्रांसफार्मर (ICT), l वें स्थैतिक वार क्षतिपूरक (SVC) *m* वें स्विचयुक्त बस रिएक्टर (Switched Bus Reactor) तथा n वें स्टेटकॉम, *x* वें उच्चदाब दिष्ट धारा पोल (HVDC pole) तथा *y* वें दिष्टधारा पृष्ठासन्न खण्ड (HVDC back-to-back block) हेतु अनुपलब्धता की अवधि घंटों में {अवरोधों (outages) हेतु समयावधि को छोड़कर जिस हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आरोप्य नहीं है, जिसे पैरा 5 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार T_{NAn} मानी गई उपलब्धता लिया गया है} ।